कृषि अभियानों का महत्व

रामजीलाल शर्मा

प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमारा देश अनाज के मामले में आत्म निर्भर बन चुका है और वह दिन भी आने वाला है जब दूसरे देशों को भी अनाज का निर्यात कर सकेंगे। पर हमें इतने से ही सन्तोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक चुनौती है और अन्न के मोर्चे पर हमें सदा जागरूक रहना होगा। इस दृष्टि से कृषि अभियानों का बड़ा महत्व है।

अभियान की अवधि

रबी अभियान की अवधि 15 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक, जायद अभियान की अवधि 1 मार्च से 30 अप्रैल तक व खरीद अभियान की अवधि 15 मई से 16 अगस्त तक रखी जा सकती है। अन्य दृश्य साधनों का उपयोग करने के साथ साथ प्रगतिशील किसानों के लिए छोटी पुस्तिकाएं तैयार की जाएं।

सघन कार्यक्रम का प्रयोग

प्रत्येक गांव में कम से कम समस्त सघन कार्य क्रियाओं को लागू करते हुए एक-एक प्रदर्शन अयोजित कराया जाए। दृश्य दर्शन समीपस्थ ग्राम सभाओं के किसानों को कराया जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय प्रदर्शनों का दृश्य दर्शन प्रगतिशील कृषकों को राजकीय व्यय पर कराया जाए।

अभियान की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 15 दिन पूर्व मांग के अनुसार प्रत्येक बिक्री केन्द्र पर कृषि एवं सहकारी विभाग द्वारा उर्वरकों की व्यवस्था की जाए। साथ ही बीज भी समय पर देने की व्यवस्था की जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि पूर्ति स्थान से कृषक को तीन मील से अधिक दूर न जाना पड़े। फसल सुरक्षा सम्बन्धी उपचार सामग्री फसल सुरक्षा केन्द्रों पर मांग के अनुसार कृषि एवं सहकारी बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध रहे।

कलेण्डर का अनुसरण

कृषि अभियानों एवं योजनाओं की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य का वर्क कलेण्डर तैयार किया जाए अर्थात प्रशिक्षण, पूर्ति व्यवस्था, तकाबी प्रार्थना पत्र एकत्रीकरण आदि के लिए निश्चित समय निधारित कर देना आवश्यक होगा और इस के अनुसार काम भी होना चाहिए।

अन्य उपाय

(अ) सरकारी व गैर सरकारी कार्यकर्त्ताओं का एक साथ मिलकर काम करना।

(ब) क्षेत्र समिति के प्रमुख को अधिक क्रियाशील बनाना।

(स) अच्छे कार्यकर्त्ताओं को पुरस्कार देने की व्यवस्था करना।

(द) स्कूल अध्यापकों का सहयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

(य) राष्ट्रीय प्रदर्शनों की सफलता पर अधिक जोर दिया जाए।

सारांश यह है कि ग्राम व ब्लाक स्तर पर व्यापक समन्वय स्थापित करने का ऐसा वातावरण तैयार किया जाए कि जिसमें जन-जन का, नर-नारी का तन मन धन तीनों से सक्रिय योगदान हो।

यदि उपरोक्त तथ्यों को गम्भीरतापूर्वक विचार कर अनुसरण किया जाए तो हमारी मातृभूमि शस्य श्यामला की चादर ओढ़ सकेगी तथा साथ ही साथ राष्ट्र का "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" का समाजवादी मूलमन्त्र भी साकार हो सकेगा।

मज़दूर मंज़िल

कुरुक्षेत्र

वर्ष 17 **चैत्र 1894** **अंक 6**

इस अंक में

	पृष्ठ
कृषि अभियानों का महत्व **रामजीलाल शर्मा**	आवरण II
विकास केन्द्र अनुसन्धान **प्रो० शेरसिंह**	2
नई फसल (कविता) **डा० राम सेवक दीपक**	3
सामुदायिक विकास कार्यक्रम : कुछ प्रतिक्रियाएं **एस० आर० मेहता**	4
सहकारी ग्राम प्रबन्ध व्यवस्था और हमारे कर्त्तव्य **सी० व्ही० मजूमदार**	5
अनाज का सहकारी विपणन और भण्डारण **द० प्र० कनौजिया**	7
ग्रामीण नेतृत्व के लिए शिक्षा आवश्यक **लक्ष्मीभूषण प्रसाद**	11
दुग्ध विकास योजना एक समीक्षा **जगदीश शरण गुप्ता**	13
दो मोर्चों की शान : किसान और जवान **ब्रजलाल उनियाल**	15
मिट्टी का सम्मान करो (कविता) **मधुसूदन "मणि"**	17
राजस्थान में भूमि सुधार की प्रगति **कुसुम मेहता "प्रियदर्शिनी"**	18
जांबाज रेल कर्मचारियों ने जान पर खेल कर भी पहिया न रुकने दिया **रामचन्द्र तिवारी**	20
राजस्थान में खार भूमि को कृषि योग्य बनाने के उपाय **तारादत्त निर्विरोध**	23
प्रगति के लिए प्रशिक्षण **फिलिप ट्रेलेविन**	24
सैदपुर ग्राम की कहानी सीमाओं की जबानी **श्रीपाल सांगवान**	25
सूरजमुखी की खेती	26
रोशनी की लहर (कहानी) **देवेन्द्र इस्सर**	27
पाठकों की राय **गंगाशरण शास्त्री**	29
साहित्य समीक्षा	31

दूरभाष 382406

एक प्रति 30 पैसे : वार्षिक चन्दा 3.00 रुपए

स० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ

आवरण पृष्ठ : जीवन अडालजा

गांवों में शुद्ध पेयजल की समस्या

जिस तरह हमारे शरीर के लिए वायु और भोजन जरूरी है उसी तरह जल भी एक अनिवार्य आवश्यकता है। जल के बिना हमारा यह शरीर टिक नहीं सकता। जहां शुद्ध जल हमारे लिए अमृत है और हमारी अनेक बीमारियों का इलाज है वहां अशुद्ध जल हैजा, पेचिश आदि जैसे भयंकर रूप से मारक रोगों का कारण भी है। भारत एक विशाल देश है और कहीं तो यहां प्रकृति का यह वरदान अपरिमित मात्रा में उपलब्ध है और कहीं राजस्थान जैसे मरुप्रदेश में लोग इसकी बून्द-बून्द को तरसते हैं। कहीं पर कुओं और बावड़ियों का पानी खारी होता है तो कहीं इनके पानी में घातक सूक्ष्म कीटाणु पाए जाते हैं जो पीने पर शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां पैदा करते हैं। इसमें शक नहीं कि देश के अनेक भागों में कुओं, बावड़ियों और झरनों का पानी खनिज लवणों से सम्पन्न और स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा लाभदायक पाया जाता है पर इसमें भी शक नहीं कि देश के बहुत से भागों में शुद्ध पेयजल के अभाव में हजारों लाखों लोग दिन ब दिन अनेकानेक रोगों के शिकार होते हैं और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। किन्तु यह बात भी ठीक ही है कि देश का अधिकारी वर्ग भी इस ओर से उदासीन नहीं है। अभी हाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक लाख 52 हजार गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के निमित्त 565 करोड़ रु० की एक योजना बनाई गई है। यद्यपि यह योजना इतने बड़े विशाल देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ करती है पर फिर भी यह एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है।

जहां केन्द्रीय सरकार ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इतनी सक्रिय है वहां राज्य सरकारों पर भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने राज्यों में ग्रामीण जनता की शुद्ध पेयजल समस्या के समाधान में कोई कोर-कसर बाकी न छोड़ें।

यदि उक्त शुद्ध पेयजल योजना को समुचित रूप से अमल में लाया गया और पैसे टके की कोई कठिनाई सामने नहीं आई तो इससे देश के एक बहुत बड़े भाग की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा, हजारों लाखों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकेगा और हजारों लाखों को अकाल मृत्यु का शिकार होने से बचाया जा सकेगा।

विकास केन्द्र अनुसन्धान

प्रो० शेरसिंह

प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना का प्रमुख उद्देश्य कार्यक्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूची के आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी साधन सुलभ करके उभरते हुए तथा सम्भाव्य विकास केन्द्रों का विकास करने के लिए एक विस्तृत अनुसन्धान कार्यपद्धति तैयार करना है। इस प्रकार यह अध्ययन सक्षम विकास केन्द्रित है। इस परियोजना का मुख्य बल अनुसन्धान पर है। इसका काम विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त कार्यपद्धति तैयार करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने सामुदायिक विकास विभाग के परामर्श से अब सभी 20 आधार क्षेत्रों का चयन कर लिया है। इन आधार क्षेत्रों के चयन के लिए सुधरे कृषि आदानों तथा यन्त्रों के प्रयोग, विपणन की सुविधाओं की उपलब्धि, संचार व्यवस्था के जाल, प्रबुद्ध स्थानीय नेतृत्व और अधिक मात्रा में जन सहयोग आदि को प्रमुखता दी गई है। प्रत्येक अनुसन्धान तथा अन्वेषण सैल का प्रयोजन यह है :

(1) वर्तमान तथा सम्भाव्य विकास तथा सेवा केन्द्रों और साथ ही उनसे सम्बद्ध क्षेत्रों का उनके आर्थिक आधार तथा जनसंख्या के परिसर के सन्दर्भ में पता लगाना ;

(2) सक्षम समुदाय के प्रयोजनों के लिए 20 ग्रामों के समूह में 10 से 25 हजार तक आबादी के परिसर की उपयुक्तता की जांच करना ;

(3) इस प्रकार का पता लगाने तथा सीमांकन करने के लिए सुसंगत मानकों का पता लगाना ;

(4) बाधक सामाजिक तत्वों तथा अनियमितताओं के बारे में अध्ययन करना ;

(5) आर्थिक विनियोजन तथा सामाजिक सुख-सुविधाओं की दृष्टि से जीवनक्षम ग्राम समुदायों और पंचायतों, सहकारी समितियों और ऐसी ही सामुदायिक संस्थाओं के उस क्षेत्र में कारगर होने के आधार पर मानकों का निर्धारण करना ; और

(6) जैसा भी आवश्यक हो, अन्ततः आयोजन तथा प्रशासन के ढांचे तथा आधार इकाई में सम्भव परिवर्तन की रूपरेखा के बारे में सुझाव देना।

यह सब वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। अब 20 अनुसन्धान तथा अन्वेषण सैलों के सभी परियोजना अधिकारी प्रशिक्षित हो चुके हैं।

यह योजना क्षेत्रीय आयोजन का एक प्रयोग है। यहां आयोजन का तात्पर्य आर्थिक तथा भौतिक दोनों आयोजनों से है। इसके माध्यम से हमारा छोटे पैमाने पर योजना बनाने की तकनीकी कुशलता विकसित करने का विचार है, जिससे संसाधनों तथा आवश्यकताओं के सही-सही मूल्यांकन द्वारा कार्यकुशलता में सुधार होगा और इससे आयोजन में अधिक निखार आएगा। संसाधनों के कुशल आबण्टन से ही अधिक से अधिक विकास होता है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन देश के सभी भागों में खण्डों की स्थापना की गई है जो विकास के लिए प्रशासनिक यूनिटों के रूप में कार्य करते हैं। क्या खण्ड एक सक्षम इकाई है? इस बात की प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना के वर्तमान प्रयोग द्वारा जांच की जा रही है। कुछेक अनुसन्धान तथा अन्वेषण सैलों में खण्ड स्तर पर एकत्र की गई सामग्री के प्रारम्भिक अध्ययन से पता चलता है कि छोटे ग्रामीण समुदाय बड़े आकार के ग्रामों के इर्द-गिर्द रहते हैं, जो उनके आर्थिक कार्यकलाप तथा जीवन-यापन के केन्द्रीय स्थानों के रूप में कार्य करते हैं। एक सामुदायिक विकास खण्ड में मोटे तौर पर इस प्रकार के पांच केन्द्रीय स्थान हो सकते हैं। ग्राम समुदायों का खण्ड की सीमा से बाहर के स्थानों से भी पारस्परिक सम्बन्ध बना रहता है। इस तरह इनके सम्बन्धों तथा प्रबन्धों का एक सिलसिला सा है जिसे स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, ताकि न तो आधारभूत ढांचे तथा सुख सुविधाओं की व्यवस्था में ही पुनरावृत्ति हो और न किसी प्रकार का अभाव ही हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि साधारणतया ग्राम करीब-करीब एक दूसरे को प्रभावित करने वाला एकक है परन्तु इसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है जिससे यह सर्वतोमुखी विकास को बनाए रख सके। देहातों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि सामान तथा अन्य प्रकार की सेवाएं ग्रामीण परिवारों से मण्डियों और कार्यकलाप के अन्य केन्द्रों में सहज तथा कारगर ढंग से ले जाई जा सकें ताकि विकास की प्रकिया कुशलतापूर्वक चल सके। कभी-कभी आधारभूत ढांचे की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव इलाके का अधिक विकास करने में गम्भीर रूप से बाधक होता है। वर्तमान प्रयोग के दौरान इस बात के लिए प्रयास किया जाएगा कि

इन सुविधाओं के अभाव का पता लगाया जाए और उनके विकास के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि उस क्षेत्र का वहां की क्षमता के अनुरूप अधिक से अधिक विकास किया जा सके।

क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य यह होता है कि समुदाय का विकास उसके आकार, वितरण तथा कारोबार के अनुरूप उस क्षेत्र में उपलब्ध भूमि तथा प्राकृतिक साधनों का यथा सम्भव उत्तम उपयोग करके किया जाए, जिससे वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके और वह क्षेत्र उनके रहने योग्य बन सके। क्षेत्रीय आयोजन रहन-सहन में सुधार लाने की दिशा में एक प्रयास है। स्थानीय दृष्टि से क्षेत्रीय आयोजन का उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण के साथ समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक सम्बन्धों का पुनर्निर्माण तथा नवीनीकरण करना होता है। क्षेत्रीय विकास में बेरोजगारी की स्थिति पर यथोचित ध्यान देना होगा। हाल ही में सूखावाले क्षेत्रों में लघु कृषक, सीमान्त (मार्जिनल) कृषक एवं कृषि श्रमिक, और बारानी खेती से सम्बन्धित कार्यक्रम इसी दृष्टि से आरम्भ किए गए हैं। विकास केन्द्रों में प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना को अपने अपने आधार क्षेत्रों में इन विशेष प्रयासों तथा उनकी क्षमता को ध्यान में रखना है।

जिला, प्रशासन तथा विकास का एकक बना हुआ है; आयोजन की प्रक्रिया को भी अपने-आपको तद्नुसार ढालना है। इसलिए विकास केन्द्र प्रयास का भी जिले के सम्पूर्ण ढांचे में किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य ही होना चाहिए। आयोजन के कार्य को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए उसमें उन लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है जिनके लिए इसे तैयार किया जाता है। प्रायोगिक अनुसन्धान परियोजना में आयोजन प्रक्रिया के लिए स्थानीय नेतृत्व का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से स्वीकार किया गया है। केन्द्र स्तर पर एक केन्द्रीय निदेशन समिति के अलावा विभाग ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे राज्य परियोजना स्तरीय समन्वय समितियों का गठन करें। आन्ध्रप्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (गाजीपुर), पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा पांडिचेरी की राज्य सरकारों ने राज्य/परियोजना स्तर पर समितियों का गठन कर लिया है। क्षेत्र में एकत्रित की गई सामग्री के विश्लेषण के आधार पर तैयार किए जाने वाले परियोजना प्रतिवेदन, परियोजना निदेशकों द्वारा तैयार किए जाएंगे और वे परियोजना स्तर की समितियों के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखे जाएंगे। जन सहयोग का महत्व इसलिए भी है कि आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि जुटाई जा सके।

विभिन्न स्तरों पर अध्ययन-गोष्ठियां आयोजित करने का विचार है, जिनमें अनुसन्धान के निष्कर्षों पर चर्चा की जाए, विकास की रूपरेखा की जांच की जाए, आधारभूत ढांचे के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उपायों पर विचार किया जाए और सम्पूर्ण प्रयास का निरन्तर मूल्यांकन किया जाए।

आयोजन अब तक मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली आदि जैसे विभिन्न मदों के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था करने तक ही सीमित रहा है। आयोजन को स्थानीय सन्दर्भ में देखने की आवश्यकता है और इस आवश्यकता का महत्व सभी सम्बन्धितों द्वारा अधिकाधिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। ★

नई फसल

क्यारी क्यारी आज कर्म को चूम रही है।
मेड़ मेड़ पर नई जिन्दगी झूम रही है॥

खेत खेत में कनक फसल लहरा रही,
बोए हुए पसीने का यश गा रही।
हारे से विश्वास आज मुस्का रहे,
बीत चुकी है निशा उषा नव आ रही।

उठी उमगें आज आसमां चूम रही हैं।
क्यारी क्यारी आज कर्म को चूम रही है॥

कृषक वंश की बांसुरिया है बज रही,
और फसल राधा की पायल सज रही।
सपनों का संसार सत्य में ढल गया,
नई फसल का गीत साधना गा रही।

सुख पाने से मेहनत कब महरूम रही है।
क्यारी क्यारी आज कर्म को चूम रही है॥

खिली हुई हैं कलियां नया विकास है,
और आज का कल पर भी विश्वास है।
धानी चूनर पहिन धरा दुल्हन बनी है,
खलिहानों में बिखर गया उल्लास है।

गाती श्रम के गीत पवनिया घूम रही है।
क्यारी क्यारी आज कर्म को चूम रही है॥

डा० रामसेवक दीपक

सामुदायिक विकास कार्यक्रम : कुछ प्रतिक्रियाएं

एस० आर० मेहता

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण लोगों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक चेतना पैदा करना है ताकि हमारे ग्रामीण अपने खुद के प्रयास से सभी के लाभ के लिए अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकें। ज्ञान के प्रसार के द्वारा ग्रामीणों के दकियानूसी विचारों में परिवर्तन लाने की यह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है। इससे उनका दृष्टिकोण बदल सकता है और अपनी भलाई के लिए वे इन परिवर्तनों से लाभ उठा सकते हैं। चूंकि यह एक बड़ा कठिन काम है अतः दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी सामुदायिक नेताओं के कन्धों पर है। लोग अधिक बात अपने नेताओं की ही सुनते हैं। इसीलिए विकास कार्रवाइयों के बारे में नेताओं की प्रतिक्रिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। पंजाब में रोपड़ विकास खण्ड के तीन गांवों में किए गए अध्ययन में ऐसे 33 सामुदायिक नेताओं से पूछताछ की गई और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के बारे में उनकी प्रतिक्रियाओं का पता चला।

पहले गांव में सिर्फ दो नेताओं और तीसरे गांव में चार नेताओं ने यह विचार प्रकट किया कि गांव के विकास के लिए इस कार्यक्रम की कोई अधिक उपयोगिता नहीं है। पहले गांव के दोनों नेता किसान नहीं थे जबकि तीसरे गांव के चारों नेताओं में से एक किसान था और तीन किसान नहीं थे। उनका यह रुख या तो इसलिए था कि इस कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिली या कार्यक्रम से लाभ उठाने का उन्हें कोई अवसर नहीं मिला। दूसरी ओर तीनों गांवों में अधिकतर नेताओं (81 प्रतिशत) ने यह कहा कि ग्राम विकास में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से बड़ी सहायता मिली है जिन नेताओं ने कार्यक्रम की उपयोगिता का जिक्र किया उनमें 27 में से 19 ने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कृषि उत्पादन की वृद्धि में और लोगों में सामाजिक तथा आर्थिक चेतना पैदा करने में काफी सहायक हुआ है।

वास्तव में जो नेता किसान नहीं है और कृषि मजदूर हैं उनसे कार्यक्रम में पूरा सहयोग नहीं मिला और इससे कार्य-की गति में रुकावट आई। कार्यक्रम, जो बुनियादी तौर पर समुदाय के सभी लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएं मुहैया करने का लक्ष्य रखता है, सिर्फ थोड़े जमींदार वर्ग के लोगों को ही लाभ पहुंचा सका। समुदाय के ये ही लोग यह महसूस करते हैं कि कार्यक्रम उनके लिए सबसे अधिक लाभ की वस्तु है।

सभी तीनों गांवों के नेताओं से यह भी जानने के लिए पूछताछ की गई कि इस कार्यक्रम से कितने परिवारों को लाभ पहुंचा है। उन्होंने यह बताया कि उनके परिवारों को इससे लाभ नहीं पहुंचा। उनसे यह भी पूछा गया कि लाभ न मिलने का क्या कारण है और इस कार्यक्रम से उनके परिवारों को क्या नुकसान पहुंचा है? तेंतीस में से छः नेताओं ने बताया कि उनके परिवारों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं पहुंचा। अधिकतर ने यह कहा कि इस कार्यक्रम से उनकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके अलावा, पंचायत की सामान्य भूमि के कारण इससे मुकदमेबाजी और पार्टी बन्दियों का बखेड़ा खड़ा हुआ जिससे उनका स्थानीय दरजा गिरा है। पार्टीबन्दी के झगड़ों से अन्तर्जातीय सम्बन्धों में भी बिगाड़ पैदा हुआ है।

उन 27 नेताओं में से जिन्होंने यह कहा कि उनके परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है, अधिकतर का विचार था कि इसने उनके परिवार के लोगों को शिक्षा मुहैया करके सहायता की और सरकारी अफसरों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध जोड़ने के अवसर उपलब्ध किए हैं। कार्यक्रम से अधिकतर परिवारों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहायता मिली है जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। उनका कथन था कि कार्यक्रम की बदौलत क्षेत्र में वे काफी प्रभावशाली हो गए हैं क्योंकि कुछ कार्रवाइयों में निर्णयकर्ता, परिवर्तनकर्ता तथा संचालक के रूप में उनका प्रमुख हाथ रहा।

नेताओं से यह भी पूछा गया कि 14 जनसमूहों में से कौन सा समूह इसकी बदौलत सबसे अधिक लाभ उठा सका, और कौन सा समूह उससे कम और कौन सा सबसे कम लाभ उठा पाया। उत्तर से पता चला कि सबसे अधिक लाभ पाने वाले लोग बड़े जमींदार, सम्पन्न व्यक्ति, ऊंची जाति के लोग और खण्ड अधिकारियों के दोस्त थे। सबसे कम लाभ उन लोगों को मिला जो श्रमिक वर्ग में आते हैं, गरीब हैं और किसान नहीं है तथा नीची जाति के हैं। इस सम्बन्ध में तीनों गांवों में एक राय पाई गई है।

अध्ययन से पता चलता है कि तीनों गांवों में अधिकतर नेता सामुदायिक विकास कार्यक्रम की उपयोगिता के हामी थे। उनमें अधिकतर ने यही राय जाहिर की कि उनके परिवारों को इससे लाभ तो पहुंचा है पर समाज के दलित वर्ग के लोगों को इससे अधिक लाभ नहीं पहुंचा। इससे पता चलता है कि इसमें समुदाय के सभी लोगों को शामिल करके इसे जनता का कार्यक्रम बनाने तथा इसकी संगठनात्मक संरचना में सभी सामुदायिक संसाधनों को जुटाने की जरूरत है।

सहकारी ग्राम प्रबन्ध व्यवस्था और हमारे कर्त्तव्य

सी० व्ही० मजूमदार

भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था में सहकारिता को विकास का एक मुख्य साधन माना गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सहकारी कृषि, साख समितियां तथा अन्य सहकारी प्रवृत्तियों का विस्तार करने से गांव का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर्याप्त रूप से विकसित होगा, किन्तु ग्रामीण संगठन के क्षेत्र को अधिक व्यापक रूप देना होगा। इसलिए योजना आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कई कारणों से ग्रामीण स्तर पर ही एक ऐसा संगठन बनाना अनिवार्य हो गया है, जिसे ग्रामीण समाज से अधिकार प्राप्त हों और जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के संचालन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हो। इस प्रकार आयोग ने ग्रामीण बिकास की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की है जिससे गांव को राष्ट्रीय नियोजन के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण, प्रगतिशील और स्वशासित इकाई बनाया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण पंचायतें एवं सहकारिता सबसे उपयुक्त मशीनरी हैं। भूमि सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करने के लिए इन ग्राम पंचायतों का महत्व और भी अधिक है। गांव की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल पंचायतें ही हल कर सकती हैं, जैसे :—

1. "काश्तकारी अधिनियम" लागू करने में राजस्व के कागजातों में सही सही प्रविष्टियां करके सहायता करना, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव से बचने के लिए काश्तकारों द्वारा जोती हुई भूमि प्राय: भूस्वामी की व्यक्तिगत जोत के अन्तर्गत दिखा दी जाती है।

2. उन काश्तकारों को, जिन्हें भूमि से वंचित कर दिया गया है (क्योंकि अब उस भूमि को स्वामी स्वयं जोतने लगे हैं) जुताई के लिए भूमि देना।

3. इन व्यक्तियों को यथासम्भव आर्थिक जोत की भूमि उपलब्ध कराना, और यदि भूमि की कमी के कारण ऐसा न किया जा सके, तो उन्हें और कोई रोजगार उपलब्ध कराना।

4. जो भूस्वामी, भूमि प्रयोग सम्बन्धी कानून का उल्लंघन करें, उनकी भूमि को नए काश्तकारों को उपलब्ध करना।

5. गांव की बेकार भूमि की जुताई की व्यवस्था करना।

उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों को गांव में भूमि प्रबन्ध एवं भूमि सुधार की एजेन्सी बना दिया जाए। दूसरे शब्दों में यदि कोई भूस्वामी अपनी भूमि पट्टे पर उठाना चाहे तो उसे सीधे ऐसा न करने दिया जाए, वरन् ग्राम पंचायत के द्वारा यह कार्य हो। इसके अतिरिक्त गांव की बंजर भूमि और ऐसी अन्य भूमियों का जो जुताई के लिए उपलब्ध हों, प्रबन्ध करने में भी ग्राम पंचायत का ही हाथ हो। जब ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगी, तभी भूमिहीन किसानों को छोटी जोत उपलब्ध कर सकेंगी। यदि एक ही गांव में इतनी अधिक फालतू भूमि न हो तो कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम समूह बना लेना चाहिए और उस ग्राम समूह में यह कार्य किया जाना चाहिए।

उद्देश्य

सहकारी ग्राम प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण ग्राम समाज के हित में गांव की भूमि एवं साधनों का समुचित विकास करना है। भूमि सम्बन्धी अधिकार एवं लगान आदि राज्य के भूमि सुधार कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन भूमि के प्रबन्ध से सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत ग्राम समाज को यह अधिकार होना चाहिए कि वह गांव के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का इस प्रकार से प्रबन्ध करे जिससे पारिवारिक जुताई की जा सके। जैसे जैसे कृषि की तकनीकें विकसित होती जाएंगी कृषि से सम्बन्धित धन्धों के लिए मानव श्रम की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और अधिकाधिक भूखण्डों पर सहकारी कृषि करना सम्भव होगा। संगठन का वास्तविक रूप तो प्रयोग और व्यवहार द्वारा ही निखरेगा। इस व्यवस्था से गांव राष्ट्रीय योजना की एक स्वशासित इकाई बन सकेगा और गांव की विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों का उन्मूलन हो सकेगा।

निस्सन्देह इस योजना में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, किन्तु इससे गांव की खुशहाली निश्चित रूप से बढ़ेगी। सच तो यह है कि जब तक गांवों की समस्याएं हल नहीं होतीं, तब तक लोगों में आत्मबल एवं विश्वास नहीं बढ़ सकता। गांव की समस्याएं हल करने का एकमात्र और सन्तोषजनक तरीका यही

है कि सम्पूर्ण गांव को इकाई मानते हुए विकास की सभी दिशाओं में अभियान शुरू किए जाएं। आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन का चक्र चलाया जाए।

यदि यह ग्राम व्यवस्था एक छोटी इकाई के रूप में विकसित हो सके तो आगे चलकर बहुत से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम भी इस इकाई के अधीन लाए जा सकते हैं। सहकारी ग्राम प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा सहकारी राष्ट्र की स्थापना ही हमारे संविधान का लक्ष्य है।

विशेषताएं

एक बार स्विटजरलैण्ड के एक मेयर ने कहा था कि "सहकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करने के बाद मुझे मेयर के रूप में कुछ करना बाकी नहीं रहता है।" उनके इस कथन में सहकारी ग्राम प्रबन्ध के आदर्श रूप की झलक है। सहकारी ग्राम प्रबन्ध इतना सशक्त माध्यम है कि उसे एक ग्राम राज्य ही कहा जा सकता है। सहकारी ग्राम प्रबन्ध की विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

1. भूमि प्रबन्ध की इकाई साधारणतया सम्पूर्ण गांव का पूरा क्षेत्रफल होगा अर्थात प्रबन्ध की दृष्टि से गांव की समस्त भूमि को एक ही फार्म माना जाएगा।

2. भूस्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता दी जाएगी और प्रत्येक फसल पर भूस्वामी को लाभांश दिया जाएगा। भूस्वामी को लगान देने के बाद जुताई के लिए गांव की सारी भूमि को इस प्रकार संगठित किया जाएगा जिससे सम्पूर्ण समुदाय को लाभ प्राप्त हो सके।

3. गांवों में रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों को सहकारी आधार पर जुटाया जाएगा और उसके द्वारा उन मजदूरों को, जिनके पास भूमि नहीं है, रोजगार दिया जाएगा।

4 ग्राम प्रबन्ध द्वारा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूखण्डों का समुचित गठन किया जाएगा।

5. ग्राम की व्यवस्था लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के अनुसार होगी। गांव के सामान्य कार्य गांव के सर्वसाधारण के बहुमत से किए जाएंगे जबकि भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी कार्य भूमि स्वामियों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे।

6. सहकारी ग्राम व्यवस्था के लिए प्रत्येक राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कानून बनाए जाएंगे जो इस व्यवस्था को स्थायी बनाने में योग देंगे।

7. बहूद्देश्यीय कार्यक्रम अपनाया जाएगा जिसके अन्तर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार के कार्य इस ग्राम प्रबन्ध व्यवस्था द्वारा होंगे।

लाभ

1. इस व्यवस्था में कृषि कार्यों के लिए एक बड़ी इकाई उपलब्ध होगी, अतः छोटे तथा बिखरे खेतों से होने वाली हानियां बच जाएंगी। ग्राम समुदाय को संसाधनों का लाभ मिल सकेगा।

2. भूमिहीन किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उन्हें रोजगार मिलेगा। साथ ही गांव में भी सहकारी आधार पर अनेक उद्योग धन्धे खुलने से उत्पादन बढ़ कर लाभ होगा जिसका फायदा सभी ग्रामवासी उठा सकेंगे।

3. ग्रामीण श्रम, पूंजी, तकनीकी ज्ञान तथा भूमि साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो सकेगा।

4. गांव में सामुदायिक एवं सहकारी वातावरण का निर्माण होगा और वे स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनेंगे।

5. ग्रामीण समाज का शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा।

कृषि योजना

कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए तात्कालिक कार्यक्रम इस प्रकार होगा :—

1. ग्रामीण उत्पादन परिषदों की स्थापना करना जो ग्रामीण उत्पादन कार्यक्रमों को सलाह एवं मार्गदर्शन दें तथा उनके लिए साधनों की पूर्ति भी करें।

2. ग्रामों में सहकारी कृषि समितियों की स्थापना करना।

3. पंजीकृत फार्मों की स्थापना करना।

सहकारियों के कर्त्तव्य

सहकारी ग्राम प्रबन्ध व्यवस्था सहकारी कार्यकर्त्ताओं के लिए एक कसौटी है। इस योजना से ग्राम समुदाय का कायापलट हो सकता है। अतः हम सब सहकारी कार्यकर्त्ताओं का कर्त्तव्य है कि इस योजना को पूर्ण रूप से सफल बनाने में योगदान करें।

1. इस योजना के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा लाभों के सम्बन्ध में सहकारी शिक्षा तथा प्रचार, प्रसार के साधनों द्वारा प्रचार किया जाए तथा गांवों में उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए।

2. जिला स्तरीय सहकारी कार्यकर्त्ता ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें और किसानों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें योजना की जानकारी दें।

3. कार्यकर्त्ता लगन और निष्ठा से कार्य करें जिससे ग्राम विकास का यह कार्यक्रम सफल हो।

महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य एवं संविधान निर्माताओं के सहकारी राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में सहकारी कार्यकर्त्ता दृढ़ संकल्प करके जुटेंगे तभी सफलता मिलेगी।

अनाज का सहकारी विपणन और भण्डारण

द० प्र० कनौजिया

हरित क्रान्ति की प्रेरणा से खाद्यान्नों के उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है। पिछले सात वर्षों में देश में गेहूं का उत्पादन बढ़कर दुगुना हो गया है। 1964-65 में एक करोड़ 22 लाख टन उत्पादन हुआ था, जबकि 1970-71 में 2 करोड़ 30 लाख टन गेहूं होने की आशा थी। चावल का उत्पादन भी 20 लाख टन से कुछ अधिक हुआ है। खाद्यान्न के इस विपुल उत्पादन ने जहां देश को दो जून पेट भर भोजन उपलब्ध होने की आशा दी है, वहां इसने कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर दी हैं। ये समस्याएं खाद्यान्न के विपणन, भण्डारण (स्टोरेज) एवं परिवहन से सम्बन्धित हैं।

इन संस्थाओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने अगस्त 1971 में राज्यों के खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन में खाद्यान्नों के विपणन और भण्डारण की समस्या पर विचार किया गया तथा इस बात पर जोर दिया गया कि समस्या को हल करने के लिए देश भर में गोदाम बढ़ाने होंगे, हाट की सुदृढ़ व्यवस्था करनी होगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज भेजने की परिवहन सुविधाओं की ओर ध्यान देना होगा। सम्मेलन में अनाज की खरीद में बिचौलियों को धीरे धीरे समाप्त करने का भी निश्चय किया गया।

राज्य व्यापार

देश में खाद्यान्न की विकट समस्या को देखते हुए नवम्बर 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की थी कि सरकार खाद्यान्न का थोक व्यापार अपने हाथ में ले। फलतः सरकार ने 1959 में ग्रामीण स्तर पर सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से फालतू उत्पादन को खरीद कर क्षेत्रीय एवं राज्यस्तरीय सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा वितरण करने का निर्णय लिया। इसके पश्चात 1964 में कृषि उत्पादन मण्डल ने मूल्य स्थिरीकरण की दृष्टि से सहकारी समितियों को फसल के समय खरीदने तथा अच्छे बाजार के समय पर बेचने की सलाह दी थी।

1963-64 तक सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इस वर्ष इन समितियों ने 40 करोड़ रु० का खाद्यान्न खरीदा। 1965 से सहकारी विपणन द्वारा खरीद के कुछ नए कार्यक्रम हाथ में ले लिए गए। इन नए प्रयासों से 1964-65 में 99 करोड़ रु० का खाद्यान्न खरीदा गया, जो पहले वर्ष से दुगुना था।

14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। खाद्य निगम का मुख्य कार्य खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों का क्रय, संग्रहण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय है, जिससे उत्पादक को शासन द्वारा घोषित मूल्य से कम दाम प्राप्त न हो। खाद्य निगम खाद्यान्न का काम अपने कार्यालयों, सहकारी समितियों तथा अन्य निजी थोक व्यापारियों अथवा एजेन्सियों के माध्यम से करता है। फिर भी खाद्य निगम ने खरीद के मामले में सहकारी समितियों को अपना सब एजेण्ट नियुक्त करने की नीति अपनाई है।

इस प्रकार खाद्यान्न की खरीद की प्रमुख संस्थाएं भारतीय खाद्य निगम, सहकारी समितियां तथा राज्य शासनों के खाद्य विभाग हैं। इनके खरीद के प्रमुख कार्यक्रम किसानों से सीधी खरीद, 'प्राइज सपोर्ट कार्यक्रम' के अन्तर्गत खरीद तथा आवश्यकता पड़ने पर 'लेवी' द्वारा खरीद है।

भण्डारण

उत्पादन वृद्धि तथा माल को सुरक्षित रखने के लिए भण्डारण की सुविधाओं का होना जरूरी है। कृषि मूल्य आयोग की 1968-69 की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्रीय खाद्य विभाग, राज्य शासन, भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय और राज्य वेयरहाउसिंग निगमों) में 50.8 लाख टन की भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी। पर 1969-70 में भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता बढ़कर 55.78 लाख टन हो गई। इस क्षमता में 28.12 लाख टन के अपने गोदामों तथा 23.66 लाख टन के किराए के गोदामों की क्षमता शामिल है।

कृषि मूल्य आयोग के अनुसार सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 21.16 लाख टन की भण्डारण क्षमता है जिसमें 1964-65 में तैयार किए गए विपणन समितियों के 1670 गोदाम तथा सेवा सहकारी समितियों के 6,590 ग्रामीण गोदाम शामिल हैं। वैसे तृतीय योजना में 8841 ग्रामीण गोदामों तथा 2166 विपणन

गोदामों के लिए सहायता उपलब्ध की गई थी। इसके अलावा, योजना क्षेत्र के बाहर सहकारी समितियों द्वारा अपनी स्वत: की पूंजी से 1500 ग्रामीण गोदाम तथा 1000 मण्डी स्तरीय गोदाम भी बनाए गए।

उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि देश में खाद्यान्नों की कुल भण्डारण क्षमता 90 से 95 लाख टन के आसपास है।

विस्तार

चतुर्थ योजना काल में खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए कितने स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, इसके सही सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी इसके महत्व को देखते हुए सहकारी आन्दोलन, राज्य शासनों तथा खाद्य निगम के विस्तार की अनेक योजनाएं बनाई गई हैं।

सहकारी क्षेत्र

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सहकारी विपणन समितियों के 1500 नए गोदामों तथा 20,000 ग्रामीण गोदामों के निर्माण का लक्ष्य है जिससे इस क्षेत्र की भण्डारण क्षमता 40.60 लाख टन हो जाने की आशा है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) ने जो देश की सहकारी विपणन समितियों का राष्ट्रीय संगठन है, सहकारी विपणन और संग्रहण के बढ़ते हुए दायित्वों को महसूस करते हुए विपणन आन्दोलन को आधुनिक ढंग से विकसित करने का कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं :—

(अ) देश की सहकारी विपणन समितियों की निदेशिका का निर्माण,

(ब) विभिन्न राज्यों में कृषि से सम्बन्धित पूर्ति का विकास,

(स) सहकारी विपणन के आधुनिकीकरण के लिए प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कमश: 5 एवं 3 विपणन समितियों का मार्गदर्शक कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनाव,

(ड) आधुनिक गोदामों, वेयर हाउसों, शीतगृहों तथा विधायन इकाइयों का विकास, और

(इ) मण्डी सर्वेक्षण, अनुसन्धान तथा वर्गीकरण का विकास, इत्यादि।

भारतीय खाद्य निगम

भारतीय खाद्य निगम भी खाद्यान्न खरीदी एवं भण्डारण के प्रति उतना ही जागरूक है जितना कि सहकारी क्षेत्र। खाद्य निगम ने 1971-72 के कार्यक्रम में सामान्य उद्देश्यों, प्रशासन, व्यापार, भण्डारण एवं पूर्ति, तकनीक एवं यांत्रिकी, वित्त एवं लेखा, परिवहन, शोध इत्यादि के लक्ष्य एवं उद्देश्य स्पष्ट किए हैं। इस निगम की भण्डारण पूर्ति का 1971-72 का कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(अ) 1971-72 में 13 लाख टन की नई भण्डारण क्षमता पैदा करने के लिए स्वीकृत गोदामों (8.75 लाख टन क्षमता) का निर्माण पूर्ण करना। दो लाख टन क्षमता के गोदामों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करना तथा स्वीकृति लेना और मध्यप्रदेश में एक लाख टन की क्षमता के गोदाम के नए कार्यक्रम के लिए स्वीकृति एवं भूमि उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्य।

(ब) 1972 में 9 लाख टन भण्डारण क्षमता के गोदामों के लिए स्थलों का चयन तथा योजना आयोग की भण्डारण विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ योजना में गोदाम निर्माण के कार्यक्रम कोअन्तिम रूप देना।

(स) भण्डारण क्षमता के उपयोग का मूल्यांकन।

(ड) अपने गोदामों एवं किराए के गोदामों, पूर्णरूपेण यन्त्रीकृत साइलोज, परम्परागत गोदामों आदि के अर्थशास्त्र का अध्ययन।

सहकारी विपणन

चौथी योजना के अन्त तक सहकारी समितियों द्वारा 900 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादन का व्यापार करने की आशा की गई है जिसमें से 450 करोड़ रुपए के खाद्यान्न होंगे। इस वर्ष 40.40 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है जिसमें सहकारी समितियों द्वारा किए गए कार्य का योग 25 प्रतिशत है। इस प्रतिशत में पंजाब और हरियाणा में राज्य खाद्य विभाग के प्रतिनिधि की हैसियत से सहकारी समितियों द्वारा की गई खरीद शामिल नहीं है।

सहकारी विपणन के बारे में अपनी रिपोर्ट में दांतवाला कमेटी ने कहा है कि सहकारी विपणन का प्रमुख उद्देश्य किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करना तथा माल के बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना है। इस प्रकार विपणन में न केवल वस्तुओं का क्रय और विक्रय बल्कि उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाने की सभी गतिविधियां शामिल हैं।

तेते पांव पसारिये जेती लांबी सौर

नारायण जानता है कि उसकी आमदनी मामूली सी है। इसीलिये वह और उसकी पत्नी सोच समझकर खर्च करते हैं।

और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिये बड़े विचार से एक योजना बनाई है क्योंकि इसमें ही उन सब का कल्याण है।

तभी तो उन्होंने परिवार को भी छोटा रखने का फैसला कर लिया है ताकि वे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें।

dav 71/532

चावल के बारे में भारत आत्मनिर्भर

भारत घरेलू जरूरतों के लिए भविष्य में चावल का आयात नहीं करेगा। 1970 में केवल दो लाख मीट्रिक टन चावल मंगाया गया था, जबकि 1965 में 7 लाख 80 हजार मीट्रिक टन चावल का आयात किया गया।

विश्व के सबसे अधिक चावल पैदा करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है।

1970-71 की अवधि में देश में 4 करोड़ 24 लाख 58 हजार मीट्रिक टन चावल की पैदावार हुई जितनी पहले कभी नहीं थी।

चावल का औसत पैदावार 1950-51 के प्रति हैक्टेयर 668 किलोग्राम से बढ़कर अब 1134 किलोग्राम हो गया है।

1970-71 के दौरान चावल पैदा करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल का स्थान सर्वप्रथम रहा और वहां कुल 61 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ।

इस अवधि में चावल का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 1974 किलोग्राम रहा।

आन्ध्र प्रदेश स्थित बेलारी जिले के कृषि पंडित श्री माला रेड्डी ने प्रति हैक्टेयर 1,586 किलोग्राम चावल की पैदावार ली।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास 31 अक्तूबर, 1971 को 16 लाख मीट्रिक टन चावल का भण्डार था।

खेती हो या समुद्र से मछली पकड़ने का धन्धा,
सबके पीछे **यूनियन बैंक** है

उद्यमी लोग यूनियन बैंक आफ इंडिया से कम ब्याज पर ऋण लेकर आधुनिक मशीनें खरीदते हैं, उत्पादकता बढ़ाते हैं और लाभ कमाते हैं।

यूनियन बैंक आफ इंडिया
66/80, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1

शिक्षा : ग्रामीण नेतृत्व के लिए आवश्यक

लक्खी भूषण प्रसाद

ग्रामीण शासन प्रणाली भारत की एक परम्परागत और पौराणिक शासन प्रणाली है। सृष्टि के प्रारम्भिक काल या यों कहें कि वेद और उपनिषद काल से ही हमारे यहां ग्रामीण स्वशासन प्रथा चली आ रही है। यह बात ठीक है कि बदलते हुए समय एवं परिस्थितियों में ग्रामीण स्वशासी प्रणाली के संगठन, कार्य एवं अधिकार वगैरह में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हो आया है फिर भी वह आज वर्तमान है। महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी आकांक्षा थी कि चूंकि भारत गांवों का देश है और यहां की लगभग 80 से 82 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है, अतः क्यों न गांवों की अपनी स्वतन्त्रता शासन व्यवस्था हो। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने आजादी हासिल की और राष्ट्रपिता के सपनों का भारत बनाने का बहुत हद तक प्रयास किया गया। आजादी हासिल करने के तुरन्त बाद ही सम्पूर्ण देश में ग्राम-पंचायत व्यवस्था लागू कर दी गई।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा आदि अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जिनमें ग्रामीण जीवन में आमूल परिवर्तन एवं सर्वमुखी विकास पर विशेष बल दिया गया। 2 अक्टूबर 1952 को लागू की गई सामुदायिक विकास योजना का बुनियादी लक्ष्य था कि गांवों के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन में एक आमूल परिवर्तन और विकास हो लेकिन बीस वर्षों के अथक प्रयास के बाद भी हमें मनोवांछित सफलता नहीं मिल सकी। जनजीवन में परिवर्तन हुआ जरूर, प्रायः सभी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत प्रगति भी हुई लेकिन सफलता की मंजिल से हम लोग कोसों पीछे रह गए। फलतः 1959 में सरकार ने श्री बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया और इस समिति ने सामुदायिक विकास योजना के विभिन्न पहलुओं का गम्भीर अध्ययन कर यह सुझाव पेश किया कि सामुदायिक विकास योजना की सर्वमुखी सफलता के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए और शासन की पूरी स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक आधार पर निर्वाचित हुए लोगों के हाथ दे दी जाए। समिति के इस सुझाव को तुरन्त बाद राष्ट्रीय विकास परिषद एवं केन्द्रीय स्वायत्त शासन समिति ने भी स्वीकृत किया। फलतः 1959 से ही पंचायती राज शासन व्यवस्था विभिन्न प्रदेशों में कार्यरूप में आया। आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया और वर्तमान समय में चौदह राज्यों में पंचायती राज शासन व्यवस्था कार्यरत है। केरल प्रदेश में भी पंचायती राज सम्बन्धी विधान बन गया है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही वहां कार्यरूप में आ जाएगी।

बिहार में पंचायती राज शासन व्यवस्था का श्रीगणेश 15 अगस्त 1965 में तीन प्रमुख जिलों में किया गया—भागलपुर, रांची और धनबाद। इन तीन जिलों में क्रमशः 21, 43 एवं 32 पंचायत समितियां हैं। 373, 613 एवं 211 ग्राम पंचायत हैं। अब तक बिहार में 10,748 गांव एवं लगभग 20 प्रतिशत ग्रामीण जनता पंचायती राज शासन प्रणाली से प्रभावित हो सकी है। अन्य जिलों में भी इस व्यवस्था को लागू करने के प्रयास जारी हैं और ऐसी सम्भावना है कि निकट भविष्य में ही वह सम्पूर्ण राज्य में कार्यरूप में आ जाएगा, जैसाकि वर्तमान सरकार ने कदम बढ़ाया है।

चूंकि बिहार भारतवर्ष का एक विशाल राज्य है जिसकी जनसंख्या लगभग साढ़े पांच करोड़ है और यहां पंचायती राज शासन व्यवस्था लगभग सौ वर्षों से कार्य रूप में है लेकिन यह प्रगति की दौड़ में अन्य प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। इसका मूल कारण जर्जर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है। शिक्षा एवं आर्थिक क्षेत्र में यह अन्य राज्यों से पिछड़ा है। 1971 की जनगणना के अनुसार बिहार में सिर्फ 19.77 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हो सके हैं जबकि केरल प्रदेश में यह प्रतिशत 60.16 है। साथ ही साथ बिहार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत राज्यों से काफी नीचे है। एक तो हमारा देश बुरी तरह गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है, शिक्षितों की संख्या भी लज्जाप्रद है, इसके अलावा भी हमारे सामने अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएं हैं। भारत में पंचायती राज शासन व्यवस्था का श्री गणेश हुआ, जनता के हाथों में हमारे विकास की समस्या को भी सौंप दिया गया लेकिन क्या हम सफलता की ओर द्रुतगति से बढ़ पा रहे हैं? उत्तर में 'नहीं' कहा जा सकता है। शासन की बागडोर जनता के हाथों में है, समस्याओं के समाधान का अधिकार भी उन्हें है लेकिन हममें इतनी क्षमता नहीं कि उसे उचित गति और दिशा दे सकें। हम उतने शिक्षित,

जागरूक और सजग नहीं हो पाए हैं। फलतः देश के विकास और समृद्धि के लिए ठोस कदम बढ़ा पाना जटिल हो गया है। आज ऐसे अधिकतर नेताओं के नेतृत्व में हमारे विकास की बागडोर है जो या तो अशिक्षित हैं या अल्प-शिक्षित हैं। अगर वे शिक्षित हैं भी तो उन्हें शासन एवं विकास की जानकारी नहीं के बराबर है। सही माने में प्रजा-तन्त्र का नेतृत्व जातिवाद, सम्प्रदायवाद, पक्षपात और पैसे का खिलौना बन गया है। ऐसी स्थिति में अगर हमारा विकास अवरुद्ध हो गया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज जनता के जो भी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर एम० एल० ए० और एम० पी० के रूप में जाते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं की वे विकास को बल दे सकें। शासन एवं विकास का कार्यक्रम चूंकि इतना जटिल है कि सभी साधारण व्यक्ति उसकी सूक्ष्मता एवं महत्व को समझकर उसे अमल में नहीं ला पाते हैं, जबकि ये ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्य में विभिन्न स्तर पर विधान एवं नियम का निर्माण कर निर्देशित करते हैं और वही देश के विकास का आधार माना जाता है।

भागलपुर एवं रांची जिले के अध्ययन दौरे में मुझे बहुत से मुखिया एवं प्रमुखों से साक्षात्कार का अवसर मिला और मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि अल्प-शिक्षित एवं अयोग्य नेता पंचायती राज शासन प्रणाली की सफलता के लिए एक रोड़ा ही नहीं बल्कि कलंक भी हैं। अबतक मैं इन दो जिलों की साठ ग्राम-पंचायतों एवं 12 पंचायत समितियों के प्रधानों के शिक्षा सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने में सफल हो सका हूं उसका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है।

अध्ययन के दौरान मैंने रांची जिले के एक मुखिया का इण्टरव्यू लिया और पंचायती राज शासन सम्बन्धी प्रश्न किया। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि "इसका नाम सुने है लेकिन पूरी जानकारी नहीं है"। मुखिया का शैक्षणिक स्तर प्राइमरी उत्तीर्ण है और कुछ ही दिन पहले से ये मुखिया बने हैं।

भागलपुर जिले के दो पंचायत मुखियाओं से यह उत्तर मिला कि 'पंचायती राज शासन प्रणाली शासन का एक तरीका है'। पुनः भागलपुर जिले के दो अन्य मुखियाओं का साक्षात्कार किया जो प्रवेशिकोत्तीर्ण थे और बहुत दिन से मुखिया पद पर हैं। उन्होंने पंचायत के अधिकार, कर्त्तव्य, कार्यक्रम वगैरह के सम्बन्ध में बताया लेकिन पंचायती राज शासन प्रणाली क्या है, इसके विषय में विकास एवं उद्देश्य सम्बन्धी पूरी जानकारी उन्हें नहीं है। भागलपुर जिले के ही एक मुखिया जो उप-प्रमुख पद पर भी हैं और देश की राजनीति में कई वर्षों से हैं, उन्हें पंचायती राज के इतिहास, संगठन, अधिकार और कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी है। उनके अनुसार "स्थानीय शासन प्रारम्भ से ही ग्रामीण विकास का स्रोत रहा है। अगर हमें उचित नेतृत्व मिले तो प्रगति के रास्ते पर हम बड़ी ही द्रुतगति से आगे बढ़ सकते हैं।" भागलपुर जिले के ही एक पंचायत समिति के प्रमुख ने बड़े ही अच्छे ढंग से पंचायती राज के बारे में जो बताया उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन्हें पंचायती राज का व्यावहारिक अनुभव है। ये पहले तीन चुनावों में मुखिया चुने गए थे और सम्प्रति ये प्रमुख पद पर हैं। इन्हें पंचायती राज सम्बन्धी अनुभव तथा प्रशिक्षण भी प्राप्त है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण एवं आंकड़ों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि "शिक्षा पंचयाती राज की सफलता के लिए प्रथम सूत्र है।" पंचायती राज सम्बन्धी नियम, कानून, संगठन अधिकार वगैरह की जानकारी के अभाव में कोई भी नेता पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद या राज्य स्तर या केन्द्र स्तर पर न तो पुष्ट, सफल एवं व्यावहारिक नियम ही बना सकता है और न देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। अतः ग्रामीण नेताओं का शिक्षित होना जरूरी है। राजस्थान में भी एक अध्ययन के आधार पर यह पाया गया है कि शिक्षा के अभाव में पंचायती राज की सफलता मात्र कोरी कल्पना है और यही कारण है कि पंचायती राज के 12-13 वर्ष पूरे हो जाने पर भी हम सफलता से कोसों दूर है।

कुल	साधारण शिक्षित	मिडिल	प्रवेशिका	स्नातक	प्रशिक्षित
मुखिया-60	12	33	11	4	3
प्रतिशत	20	55	18	7	5
प्रमुख-12	—	3	7	2	4
प्रतिशत	—	25	58	17	33

भारत सरकार के सामुदायिक विकास, सहकारिता एवं पंचायती राज मन्त्रालय को यह सुझाव पेश किया जा सकता है कि सरकार नेताओं की शिक्षा के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाए। ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि ग्रामीण, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर जनता के वे ही प्रतिनिधि निर्वाचित हों जोकि क्रमशः मिडिल, प्रवेशिका एवं स्नातक तक आवश्यक रूप से शिक्षित हों। शिक्षा के अतिरिक्त भी चुने हुए नेताओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा जाए। सरकार अगर इस ओर सुदृढ़ कदम उठाएगी तो हम सफलता की मंजिल पर आसानी से पहुंच सकते है। ऐसा विश्वास है कि शिक्षित नेताओं के निर्वाचन के बाद अगर उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाए तो देश के सर्वमुखी विकास को बहुत बड़ा बल मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की नित नूतन समस्याएं जैसे जातिवाद, पक्षपात, अशिक्षा, अशिक्षित नेता, वगैरह का आप ही आप खात्मा हो जाएगा। ग्रामीण वातावरण में एक ऐसा परिवर्तन होगा कि जनता आत्मनिर्भर, आत्मसम्पन्न और सुखी हो जाएगी। शिक्षित नेतृत्व से समाज में सहानुभूति, सेवा, एकता एवं सच्चाई की भावना प्रस्फुटित होगी और फिर देश में रामराज्य आ जाएगा। ◇●◇

दुग्ध विकास योजना : एक समीक्षा

कृषि उत्पादन और जनता के लिए पौष्टिक आहार में सुधार लाने के हेतु पशुओं के उपयुक्त तथा शीघ्र विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। 1966 में देश में कुल 3 करोड़ 84 लाख 78 हजार पशु थे, उसमें 26 लाख गाएं दूध देने वाली तथा 10 लाख भैंसें दूध देने वाली थीं। शेष अन्य प्रकार के पशु थे।

जगदीश शरण गुप्ता

देश का स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर सन्तुलित आहार पर निर्भर करता है। दूध मानव आहार का एक अत्यन्त आवश्यक अंग है। दूध में आवश्यक खनिज पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दूध से बढ़कर कोई जीवनदायी आहार नहीं है। दूध का अधिक उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और उसकी मांग शहरी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। औद्योगिक प्रगति के साथ नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नागरिकों को शुद्ध दूध उपलब्ध होना कठिन हो गया है। दूसरी ओर नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ दूध का उत्पादन होता है, वह शहरी जनता तक नहीं पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त, अच्छे दुधारू पशुओं की देश में कमी है तथा उनकी समुचित देखरेख और आहार व्यवस्था आदि न होने के कारण दूध जैसे महत्वपूर्ण आहार की कमी हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग दूध उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहरों और नगरों के दुग्ध उपभोक्ता केन्द्रों से उनका सीधा सम्पर्क नहीं है। दूध जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है, इसलिए उसे शीघ्र बेचने का प्रबन्ध होना जरूरी है।

दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुधारू पशुओं का विकास तथा उसका उत्तम पालन पोषण अनिवार्य है। इस दिशा में प्रत्येक राज्य के पशु चिकित्सा विभाग प्रयत्नशील हैं। राज्य के बड़े बड़े शहरों में 'दुग्ध पूर्ति योजनाएं' शासन द्वारा चलाई गई हैं। शहरी दुग्ध पूर्ति योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को दूध उचित स्थानों पर उपलब्ध किया जाता है।

डेरी विकास का कार्य भारतवर्ष में 1944 में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन के अन्तर्गत चालू किया गया। डेरी विकास के लिए 1949-50 तक कोई भी सहायता शासन द्वारा नहीं दी गई।

योगदान

दुग्ध व्यवसाय को विकसित करने के लिए सरकार ने सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना बनाई है। दुग्ध सहकारी समितियां दूध उत्पादकों को कई प्रकार से सहायता करती हैं। वे दूध देने वाले पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए तकनीकी सहायता और समय-समय पर आवश्यक निर्देश देती है। पशुओं की खरीद के लिए उनके द्वारा सहायता ऋण या अनुदान के रूप में दी जाती हैं। पशुओं के लिए चारा खरीदने के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं दी जाती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्र से दूध एकत्रित करके शहरों तक पहुंचाने का कार्य भी करती है। दूध को ठंडा करने और उसे कीटाणुओं से मुक्त करने वाली मशीन लगाने का भी काम करती है। इसके अतिरिक्त जो दूध बच जाता है उसका मक्खन, घी, दूध का पाउडर आदि तैयार करने की मशीनें आदि लगाने का काम भी दुग्ध सहकारी समितियां करती हैं। दुग्ध उत्पादकों को उनकी मेहनत का उचित फल दिलाने में सहायक होती हैं। शहरों में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी शुद्ध दूध प्राप्त हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि के साथ दुग्ध का व्यवसाय करते हैं उनकी आय में वृद्धि होती है। देश में 1968 के अन्त में 9,150 प्राथमिक सहकारी दूध पूर्ति समितियां तथा 196 सहकारी दूध उत्पादक संघ थे।

व्यवसाय

देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में दुग्ध व्यवसाय कार्यक्रमों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी परन्तु फिर भी कुछ राज्यों के दुग्ध व्यवसाय के लिए योजनाओं में प्रावधान रखा गया था। 27 योजनाएं राज्यों में कार्यान्वित की गई थीं। इनके विकास पर 7.81 करोड़ रुपया व्यय करने की योजना थी। उपरोक्त प्रावधान में से 6 करोड़ रुपया बम्बई राज्य पर ही व्यय करने का प्रावधान था।

दूसरी योजना में इस व्यवसाय के लिए 17.4 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान रखा गया था जिसमें से 14 करोड़ रुपया व्यय किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की गईं। कलकत्ता, मद्रास, देहली तथा बम्बई शहरों में पशु बस्तियां बनाने का लक्ष्य था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में विभिन्न शहरों में 28 दुग्ध प्रदाय योजनाएं चल रही थीं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में डेरी व्यवसाय को काफी महत्व दिया गया। इस बात पर जोर दिया कि देहाती क्षेत्रों

में अधिक से अधिक दूध का उत्पादन हो, जिससे शहरों में दूध की पूर्ति उचित दामों पर सम्भव हो। योजना में डेरी विकास के लिए 36 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान रखा गया था जिसमें से 35 करोड़ रुपया व्यय किया गया। नए शहरों में दूध पूर्ति करने की योजनाएं बनाई गईं।

चौथी योजना में डेरी विकास के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना की अवधि में प्रतिदिन 6,000 से 10,000 लिटर दूध की क्षमता वाले 34 संयन्त्र तथा 500 से 4,000 लिटर दूध की क्षमता रखने वाली 198 देहाती डेरियां स्थापित की जाएंगी।

कठिनाइयां

दुग्ध व्यवसाय की प्रगति अधिक नहीं हो पाई है। दुग्ध उपचार संयन्त्रों के अभाव के कारण देश में ग्रामीण क्षेत्रों से दूध को शहरों में लाने में काफी व्यय आता है। यातायात एवं संचार व्यवस्था ठीक नहीं है। सहकारी समितियों से ऋण समय पर नहीं मिल पाता है। पशुओं के वास्ते चारे की भी बड़ी समस्या है। पशु चिकित्सालयों का अभाव है। तकनीकी सलाह समय पर प्राप्त नहीं होती है। भारतीय पशुओं की उत्पादन क्षमता भी बहुत कम है। जलवायु का भी इस व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मियों में दूध जल्दी खराब हो जाता है। दुग्ध व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने तथा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि (1) हर राज्य में सहकारी दूध समितियां स्थापित की जाएं, (2) सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए सहकारी दुग्ध संघ संगठित किए जाएं, (3) पशुओं के लिए अच्छे किस्म के चारे का प्रबन्ध किया जाए, (4) व्यावसायिक बैंक तथा राज्य सरकारें दूध व्यवसाय के विकास के लिए आर्थिक सहायता दें, (5) पशु विभाग द्वारा समय समय पर ग्रामीण लोगों को तकनीकी सलाह दी जाए, (6) ग्रामों में पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएं, (7) देश में दुग्ध व्यवसाय के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है उनका प्रबन्ध किया जाए, (8) ग्रामीण यातायात के साधनों का विकास किया जाए, (9) पशुओं के लिए बस्तियां बनाई जाएं, (10) पशु पालकों को भूमि दी जाए, (11) दूध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने के प्रयास किए जाएं, (12) दूध उत्पादकों को दूध का मूल्य उसमें प्राप्त चिकनाई की मात्रा के आधार पर निश्चित किया जाए जिससे दूध में मिलावट की सम्भावना न रहे।

दुग्ध योजनाओं की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि ग्रामीण अंचल में दूध का उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इससे ग्रामीण पशुपालक की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा शहरी जनता को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध दूध उपलब्ध हो सकेगा।

दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुधारू नस्लों का विकास तथा उनका उत्तम पालन पोषण भी जरूरी है। इसके लिए विभाग तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को पशु खरीदने के लिए ऋण की सुविधा देने का प्रयास करना चाहिए। हरियाणा और मुर्रा नस्ल की भैंसे पशुपालकों को दी जाएं।

हमारा देश दुग्ध क्रान्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यों के बड़े बड़े शहरों में दुग्ध योजनाएं चालू की जा रही हैं। पर सत्य यह है कि जब तक पशुपालकों को अपने दूध की उचित कीमत प्राप्त नहीं होगी और उन्हें यह व्यवसाय लाभप्रद नहीं दीखेगा तब तक वे अधिक से अधिक दूध उत्पादन करने की दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे।

देश में सफल सहकारी दूध संघ का ज्वलन्त उदाहरण गुजरात राज्य में आनन्द में स्थित 'खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड' है। इस सहकारी डेरी का अमूल मक्खन, अमूल बेबी फूड और अमूल पनीर सारे देश में लोकप्रिय है।

आवश्यकता इस बात की है कि हर राज्य में सहकारी दुग्ध समितियां मक्खन, बेबी फूड तथा पनीर तैयार करें, जिससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो सके और ग्रामीण लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ सके।

दो मोर्चों की शान : किसान और जवान

ब्रजलाल उनियाल

हाल में ही भारत के भाल पर विजय का तिलक लगाने का श्रेय जवानों को तो है ही पर यह विजय खतरे में पड़ जाती अगर हम अनाज के लिए बराबर विदेशों का मुंह ताकते रहते। उधर लड़ाई का मोर्चा फतह और इधर किसान ने अनाज की कमी के मोर्चे पर फतह पाई। इसी किसानी विजय के बलबूते पर हमारी प्रधान मन्त्री ने बड़ी शान से कहा कि 1972 के शुरू से ही हमने अनाज मंगाना बन्द कर दिया है। इतना ही नहीं हम इस समय हजारों टन अनाज बंगला देश को भेज चुके हैं।

इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि खैरात या उधार लेने वाले राष्ट्र को धौंसपट्टी का खतरा बना रहता है। आज हमने शान के साथ उस धौंसपट्टी के जुए को उतार फैंका है। हमने आयात की बैसाखी फेंक दी है और हम अपने सहारे खड़े ही नहीं, आगे बढ़ रहे हैं।

इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों और किसानों का महत्वपूर्ण योगदान उल्लेखनीय है। अब भी यह बदकिस्मती है कि अगर किसी बात पर विदेशी विशेषज्ञ अपनी मोहर लगा देता है तो हम उसे सर आंखों पर रखते हैं। इसलिए यहां इसी सन्दर्भ में हम राकफैलर संस्थान की 1969 में प्रकाशित एक प्रतिवेदन का सारांश उद्धृत करते हैं।

"सफलता का मुख्य श्रेय भारत के नेताओं, वैज्ञानिकों और किसानों सभी को समान रूप से है—राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री से लेकर गरीब किसान तक सभी इस श्रेय के भागीदार हैं जिन्होंने केवल 3-4 साल में ही देश की खाद्य स्थिति की काया पलट दी है।"

कुछ समय पहले की बात है कि एक कृषि विद्यालय के प्रधानाचार्य ने यह कहा था कि अगर केवल 10 साल पहले किसी कृषि विद्यार्थी से यह पूछा जाता कि गेहूं की फी एकड़ उपज क्या है, और वह जवाब देता 50 मन, तो शायद लोग उसकी खिल्ली उड़ाते। लेकिन अगर आज इसी सवाल का जवाब यह दिया जाए कि एक एकड़ में 150 मन गेहूं पैदा हो सकता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं समझी जाएगी। आखिर, इस अभूतपूर्व प्रगति का कारण क्या है? इसका सहज उत्तर है वैज्ञानिक पद्धतियों में सबसे प्रमुख बात है अधिक उपज वाली नई किस्मों का उगाया जाना।

भारत के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और चावल हैं। इन दोनों में ही जो अभूतपूर्व सफलता मिली है उसका कारण बौनी किस्म के नई विकसित धान और गेहूं की प्रजातियां हैं। इनके पौधे छोटे होने के कारण गिरते नहीं हैं। ऊंचे कद के पौधों में जब अधिक मात्रा में खाद और उर्वरक दिए जाते हैं तो ये पौधे झुक जाते हैं और गिरने से अनाज की बहुत हानि होती है। इन किस्मों के दोहरे लाभ हैं। एक तो ये फसल जल्दी पकने वाली होती हैं। और दूसरे इन्हें अविराम सस्य क्रम के अन्तर्गत आसानी से उगाया जा सकता है। इन फसलों की उपज निश्चित रूप से ठीक देखभाल और खाद आदि देने से ऊंचे कद वाली फसलों की अपेक्षा दुगनी या तिगुनी तक होती है। इसमें सन्देह नहीं कि इनके बीजों को विदेशों से मंगाया गया था परन्तु भारतीय वैज्ञानिकों ने बीज मंगाने के बाद संकरण और चयन की दिशा में जो जबर्दस्त काम किया है उस सबका श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों को है।

भारत में पहले पहल इन किस्मों की शुरूआत कम समय में तैयार होने वाली और अधिक उपज देने वाली धान की दो किस्मों, ताइचुंग नेटिव-1 और आई० आर०-8 को अपना कर की गई थी। इन दोनों किस्मों को क्रमशः ताइवान और फिलीपिन में विकसित किया गया था। इसमें सन्देह नहीं कि इन दो किस्मों ने न केवल धान की उपज में क्रान्तिकारी परिवर्तन किए बल्कि हमारे देश में पैदा होने वाली लम्बी, कमजोर तने वाली, प्रकाश से अधिक प्रभावित होने वाली देसी किस्मों का स्थान लेकर उपज में नए कीर्तिमान स्थापित किए। धान अनुसन्धान कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया गया वे प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होतीं और सभी बौने किस्म की हैं तथा उर्वरक की उपयुक्त मात्रा देने पर बहुत अधिक उपज देती हैं। इन किस्मों में प्रमुख ये हैं—आई० आर०-8, जया, पद्मा, पंकज, जगन्नाथ, बाला, कावेरी, कृष्णा, कांची, रत्ना, जमना, साबरमती, विजया और आई० आर०-20। इन किस्मों का चयन देश की विभिन्न जलवायु की परिस्थितियों को देखते हुए तथा उपभोक्ताओं की रुचियों को ध्यान में रखते हुए किया गया।

ये सब किस्में बौनी हैं और पंकज को छोड़कर जो थोड़ी ऊंचे कद की है तथा जगन्नाथ प्रकाश की अवधि से प्रभावित होने वाली है, लगभग समान गुण वाली हैं। इन किस्मों की फी हैक्टेयर उपज 40 से लेकर 60 क्विण्टल तक है जबकि हमारी देसी किस्मों से केवल 20 से लेकर 25 क्विण्टल तक उपज मिलती है। कुछ किस्में ऐसी हैं जिनमें कीट व्याधियों की रोधिता क्षमता मौजूद है अर्थात उन पर कुछ कीट व्याधियों का असर नहीं होता। इन किस्मों

में से कोई भी ऐसी किस्म नहीं है जिस पर शीत का कुप्रभाव न पड़ता हो। साथ ही ये गौलमिज कीट रोधी भी नहीं है। अतः इन किस्मों को ऐसे क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता जो बहुत ठंडे हों या जहां पर उक्त कीट व्याधि का का असर हो।

धान की ही तरह गेहूं की फसलों में भी इसी तरह की बौनी किस्मों ने चमत्कार कर दिखाया है। मैक्सिको के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डा० ई० नौरमन बोरलोग को 1970 में नोबल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व में बौनी किस्मों का विकास करने के कारण ये ही युग परिवर्तन के सूत्रधार हैं। हमारे देश में ये बौनी किस्में किस तरह अपनाई गईं इसका भी किस्सा काफी मनोरंजक है।

सन् 1962 में मैक्सिको की स्थानीय प्रजातियों और जापान की नोरिन बौनी किस्मों के बीच कई संकरण किए गए जिनके फलस्वरूप अनेक बौनी प्रजातियों का विकास किया गया। गेहूं की ये किस्में भारतीय कृषि अनुसन्धान शाला के अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं नर्सरी में उगाई गईं। इन किस्मों में कुछ प्रजातियां तो ऐसी निकलीं जिन्होंने गेहूं की उपज के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ डाले। इसलिए यह तय किया गया कि 1963 में गेहूं की नई किस्मों के बीजों की 1 हजार किलोग्राम की मात्रा मंगवाई जाए। फलस्वरूप सोनोरा-63, सोनोरा-64, मेग्रो-64, लरमारोजो-64ए मंगवाई गई। इनमें से दो किस्मों यानी सोनोरा-63 लरमारोजो-64 ए से बहुत अच्छी उपज मिली। इन फसलों में फी हैक्टेयर 160 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा दी गई जबकि पानी आदि की व्यवस्था तथा सुधरी कृषि विधियां अपनाई गईं। इन नई किस्मों से भारत की देसी किस्मों के मुकाबले दो से ढाई गुना उपज मिली। भारत की देसी सुधरी किस्में सी-306, एन० पी०-880 और एन०पी० 809 ऊंचे कद की होने के कारण इन नई किस्मों के मुकाबले फीकी पड़ गईं। इसलिए यह तय हुआ कि सिंचित क्षेत्रों में 1965 में सोनोरा-64 और लरमारोजो-64 ए बड़े पैमाने पर उगाई जाए।

लेकिन इन बौनी किस्मों में एक अवगुण था। भारतवासी आमतौर पर चपाती खाने वाले लाल रंग की चपातियों को पसन्द नहीं करते। इन बौनी किस्मों के आटे का रंग कुछ लाली लिए होता है। इसलिए लोगों में इसके प्रति कुछ अरुचि हो गई। कृषि वैज्ञानिकों ने इस कमी को दूर करने के लिए नई किस्में एस-227, (कल्याण सोना) और एस-308 (सोनालिका) विकसित कीं जिन्होंने क्रमशः सोनोरा-64 और लरमारोजो का स्थान ले लिया। बाद में भारतीय कृषि अनुसन्धानशाला के वैज्ञानिकों ने सोनोरा-64 को गामा किरणों से उपचारित करके एक नई प्रोटीन बहुल और उम्दा रंग वाली किस्म का विकास किया जिसका नाम रखा गया—शरबती सोनोरा।

सोनोरा 64 और लरमारोजो से इतनी भारी उपज मिली कि भारत सरकार ने सोनोरा-64 के 200 टन और लरमारोजो के 50 टन बीजों को आयात करने का निर्णय किया। यह बात सन् 1965 की है। तभी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के कारण तीन सप्ताह तक बहुत सा बीज तो जहाजों में ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। इस तरह 70 प्रतिशत बीज बेकार हो गया। फिर सन् 1966 में भारत ने बौने गेहूं के 18,000 टन बीज का आर्डर दिया। भारत से इस बीज की खरीद के लिए कुछ विशेषज्ञ भेजे गए। भारतीय विशेषज्ञ गुप्त रूप से पूरी जानकारी लेने में लगे रहे। मैक्सिको के राष्ट्रीय बीज संगठन ने भारतीय विशेषज्ञों की खूब आवभगत की और उन्हें बीज खरीदने का निमन्त्रण दिया। लेकिन भारतीय विशेषज्ञ तो खेतों में ही पहुंच गए और स्थानीय 500 किसानों से मिले और पूरी तरह सन्तुष्ट होकर सौदा पटा लिया। सीधे उनसे ही बीज खरीदा गया।

विज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति का रहस्य है—"असन्तोष"। भारतीय वैज्ञानिकों ने देखा कि द्विजीनीय गेहूं के पौधे यानी कल्याण सोना और सोनालिका भी अच्छी खासी खाद पाने पर गिर जाते हैं। बस, फिर क्या था! एक और दौड़ में वैज्ञानिक त्रिजीनीय बौनी किस्म पर पहुंच गया। इस प्रकार 1970 में हीरा नामक त्रिजीनीय बौनी किस्म विकसित की गई जो खूब उर्वरक पाने पर भी नहीं गिरती। इससे उपज में आशातीत सफलता मिली है। यह पीला रतुआ रोधी है। इसके दाने बड़े मोटे और अच्छे रंग के होते हैं। इसकी फी हैक्टेयर उपज 5-7 मीट्रिक टन तक है। इसी प्रकार एक और त्रिजीनीय बौनी किस्म डब्ल्यू० आई० 212 पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित की है। राजस्थान ने भी ऐसी ही किस्म का नाम रखा है लाल बहादुर।

इन किस्मों ने गेहूं की खेती में अपूर्व क्रान्ति ला दिखाई है। सन् 1968 में लगभग 60 लाख एकड़ में ये किस्में उगाई गई थीं। इस छोटे से क्षेत्र ने ही कुल उपज का 40 प्रतिशत कर दिखाई। इस तरह 1970-71 में लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ जबकि 1927 में 1.1 करोड़ और 1966 में 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ था। अगर यही प्रगति जारी रही और अधिक क्षेत्र में उचित सुविधाओं के साथ बौने गेहूं पैदा किए गए तो भारत विदेशों को गेहूं का निर्यात करने लगेगा। वैज्ञानिकों ने न केवल उपज की मात्रा ही बढ़ाई है बल्कि उन्होंने स्वाद, रुचि और रंग का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है और प्रत्येक विकास पिछले विकास की पीठ पर खड़ा है।

मक्का, बाजरा और ज्वार की उपज में भी इसी प्रकार की प्रगति हुई। सी० एस० एच-1 नामक ज्वार की किस्म की अपेक्षा नई किस्म सी० एस० एच-3 से 20 प्रतिशत अधिक उपज मिली है। इसके दाने भी उम्दा हैं और पौधा भी

रोग रोधी हैं। मक्का की बौनी किस्म बी० एस० एम-2 भी अधिक उपज देने वाली है। यह केवल 85 दिन में ही पक कर तैयार हो जाती है। इसे कृषि और औद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ने तैयार किया है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इतनी तीव्र गति से उपज में कदम बढ़ाए हैं कि अब हम गेहूं व धान में आत्मनिर्भरता की मंजिल पर पहुंच गए हैं। इतना ही क्यों, अनाज की भरपूर फसलों से इनके निर्यात की आशा का उदय हुआ है।

इस सन्दर्भ में विशेष रूप से हाल के भीषण युद्ध के प्रसंग में, यहां विश्व विश्रुत वनस्पति वैज्ञानिक प्रो० माहेश्वरी के इन शब्दों का उल्लेख समीचीन प्रतीत होता है :

"केवल तोप, टैंक, पैराशूट, लड़ाकू विमान बनाना ही काफी नहीं है। यह भी उतना ही जरूरी है कि जवानों को इनके इस्तेमाल के लिए बराबर प्रशिक्षित किया जाए और इतने शिक्षित जवान मौजूद रहें कि वीरगति पाने वालों के स्थान पर फिर नए जवान समरत हो जाएं। ठीक इसी तरह भारत के महत्तम उद्योग कृषि में भी, युद्ध से अधिक खतरे मौजूद हैं और केवल उत्तम प्रतिभाओं का वरण ही अभीष्ट होगा। इसमें सन्देह नहीं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है केवल अवसर और प्रोत्साहन की खुराक मिलनी चाहिए।

एक बात और, आज का किसान पहले के किसान की तरह एकांगी कार्य-कर्त्ता नहीं है—वह बहुधन्धी है उसे अनवरत सस्य क्रम में बारहों महीने जागरूक रहना है, उसे व्यवस्थापक होना है, उसे वित्तव्यवस्था संचालक बनना है—ऋण भी लेना है—खरीददार बनना है—विक्रेता बनना है यानी बीसवीं सदी का जागरूक किसान बनना है।

नई किस्मों की विशेषताएं हैं कि उनमें समय पर अपेक्षित सिंचाइयां की जाएं, पर्याप्त उर्वरक दिए जाएं, कीट-नाशी दवाओं का प्रयोग हो, बड़े फार्मों पर यथासम्भव यन्त्रों का प्रयोग हो।"

हाल में ही हमारी यशस्वी प्रधान मन्त्री ने कृषि मन्त्री को लिखा है कि अनाज के मामले में तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अब हमें कपास के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना है। हमारे कृषि वैज्ञानिक राजस्थान में मिस्र में उगाए जाने वाली उम्दा किस्म की कपास उगाने के लिए प्रयत्नशील हैं जिसका रेशा न केवल लम्बा होगा बल्कि महीन भी होगा। देश भर में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्यांक रखे गए हैं। संकर प्रजनन द्वारा व चारे दाने में नए अनुसन्धानों का लाभ उठाकर अब हम 'श्वेत क्रान्ति' के प्रथम चरण में पहुंच गए हैं।

सन्तोष का विषय है कि हमारा सुदूर अतीत जिसे मैगस्थनीज ने 'धन-धान्य-विपुला वसुन्धरा' की संज्ञा से सम्बोधित किया था, आज पुनः अपने गौरव को प्रतिष्ठित कर चुका है। भविष्य तो सुन्दरतर होगा।

★६★

मिट्टी का सम्मान करो

मधुसूदन "मणि"

नमन करो पावन वसुधा को
मिट्टी का सम्मान करो
बाहें जिनकी विन्ध्याचल हैं
धैर्य हिमालय सा ऊंचा,
मन्दिर मसजिद, गिरजाघर में
जिसकी ही होती पूजा,
गंगा जल का करो आचमन
जमुना का जलपान करो
वेद पुराणों की गाथाएं
बसी हुईं जिन सांसों में,
गौतम गांधी समा गए हैं,
मिट्टी के विश्वासों में,
पाप काटती जहां ऋचाएं
उसी धरती का मान करो
मेहनत जहां प्रेय पूजित है
मिट्टी ही है देव जहां,
पहन चुनरिया धानी धरती
लहराती बन मस्त वहां,
मौसम जहां सार्थक होते
उन छवियों का ध्यान करो
गीता गायत्री की वाणी
जहां रोज दुहराते हैं
पक्षी भी जिस देश के हरदम
श्लोक संहिता गाते हैं,
कालिदास और तुलसी पर तुम
कुछ भी तो अभिमान करो।

राजस्थान में भूमि सुधार की प्रगति

कुसुम मेहता 'प्रियदर्शिनी'

प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आन्ध्र प्रदेश में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एक प्रश्नकर्त्ता के इस कथन से सहमति प्रकट की थी कि राज्यों में भूमि सुधार की गति धीमी रही है। लेकिन साथ ही आपने आशा प्रकट की थी कि अब जनता में नई चेतना है और राज्य सरकारें भूमि सुधार के लिए जनता की नई मांग को समझेंगी तथा इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाएंगी।

केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री यशवन्तराय चव्हाण ने भी मुख्यमन्त्रियों के एक सम्मेलन में चेतावनी दी थी कि देश के कतिपय भागों में हुए उपद्रवों का सीधा कारण भूमि सुधारों में असफल होना है। राज्य सरकारों को चाहिए कि भूमि सुधारों से सम्बन्धित उपनियमों पर विचार करें ताकि उन कारणों का पता चले जिनसे इस दिशा में प्रगति बहुत धीमी रही है। राज्य सरकारों को समय-समय पर भूमि सुधारों की प्रगति का लेखा-जोखा देखते रहना चाहिए।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि सुधारों को तेजी से क्रियान्वित करने का कितना महत्व है और यह समस्या कितनी गम्भीर है इसे प्रधानमन्त्री एवं केन्द्रीय वित्तमन्त्री के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि भूमि सुधार की गति हरित क्रान्ति की प्रगति के साथ चलती तो देश में कृषि के उत्पादन में आज से कहीं अधिक वृद्धि होती, आय की असमानता में कमी होती, खुशहाली में बढ़ोत्तरी होती और देश में समाजवाद वास्तविकता का रूप लेता।

"एशियन ड्रामा" के सुप्रसिद्ध लेखक प्रो० गुन्नर मिरडल के अनुसार भूमि सुधार को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मनुष्य और भूमि के सम्बन्ध को परिवर्तित करने के लिए नई नीति निर्धारित की जानी चाहिए जिससे मनुष्य को अधिकाधिक क्षेत्र मिले और वह अधिक तत्परता से कार्य करने को प्रोत्साहित हो सके। बिना भूमि सुधार के "हरित क्रान्ति" समाज में असमानता में वृद्धि करेगी जिससे वर्ग संघर्ष भयंकर रूप ले सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमि सुधार समिति ने देश की भूमि समस्या का गहन व विस्तृत अध्ययन कर देश में तेजी से भूमि सुधार लागू करने पर बल दिया है। योजना आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस समस्या पर विस्तार से प्रकाश डाला है। देश के सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भूमि सुधार की धीमी गति पर चिन्ता प्रकट की है। यही नहीं प्रायः सभी वाम एवं दक्षिण पन्थी राजनीतिक दलों ने भूमि सुधारों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें तेजी से लागू करने का आश्वासन अपने चुनाव घोषणा पत्रों में दिया है। हाल ही में बंगलौर में एक विशाल सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा था कि आगामी चुनावों की समाप्ति के पश्चात् देश में भूमि सुधार कानून तेजी से लागू किए जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बावजूद भी कई क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आगे है जिनमें भूमि सुधार एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण हैं।

1949 में राजस्थान के गठन के समय अधिक शक्तिशाली एवं बड़े बिचौलिए जागीरदार थे जिनका राज्य भर में अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा था। भूतपूर्व जोधपुर रियासत के कुल क्षेत्र का 82 प्रतिशत और भूतपूर्व जयपुर रियासत का 65 प्रतिशत क्षेत्र जागीरदारी प्रथा के अधीन था। सम्पूर्ण राजस्थान में उसके कुल क्षेत्र के 60 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित थी। काश्तकारों के साथ जागीरदार का व्यवहार इस तरह का था मानो जागीरदार ही सब बातों में जमीन का मालिक हो।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर सभी अधार्मिक तथा धार्मिक जागीरें एवं समस्त जमींदारी व बिस्वेदारी जागीरें, चाहे उनका बन्दोबस्त किया गया हो अथवा नहीं, अधिग्रहीत कर ली गईं। काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए गए तथा उनके और राज्यों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। 5 लाख से अधिक काश्तकारों को ये अधिकार प्रदान किए गए तथा उन्हें लगभग 50 लाख एकड़ भूमि सौंपी गई। लगान के अलावा जो भेंट आदि काश्तकारों द्वारा जागीरदारों को दी जा रही थी, समाप्त कर दी गई।

पहले जागीरदारों, जमींदारों या बिस्वेदारों द्वारा मनमाने ढंग से काश्तकारों को बेदखल कर दिया जाता था। इस सम्बन्ध में राजस्थान (प्रोटेक्शन आफ टिनेन्ट्स) आर्डिनेंस 1949 जारी किया

गया और बेदखली रोक दी गई। अब काश्तकार को केवल कानूनी कार्रवाई से ही बेदखल किया जा सकता है।

लगान की वसूली राजस्थान एग्रीकल्चरल रेंट कन्ट्रोल एक्ट 1954के अधीन शुरू की गई। राजस्थान में अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका भू-कर की दृष्टि से सर्वेक्षण नहीं किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग 25 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फिर से बन्दोबस्त कार्य कराया जाएगा जिस पर लगभग दो करोड़ रुपए व्यय होंगे।

एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि राज्य के विभिन्न भागों में अधिक संख्या में अनेक प्रकार की भूमि पाई जाती है तथा वहां उनके लगान की दरें भी भिन्न-भिन्न हैं। इन सब असमानताओं को कम करने के कारगर प्रयत्न किए गए हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो 15 अक्टूबर 1955 को शिकमी काश्तकार या अन्य प्रकार से भूमि काश्तकार या खुद काश्तकार था, वह खातेदार बन गया तथा उसे भूमि पर कई तरह के अधिकार प्राप्त हो गए।

हाल ही में निश्चय किया गया कि उन किसानों को, जो लगातार 10 वर्षों से भूमि को जोतते चले आ रहे हैं तथा जिन्होंने शर्तों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है, खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगे। जो लोग नदी की तल की भूमि को जोतते हैं उनकी असुविधाओं को दूर करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि प्रतिवर्ष ऐसी भूमियों को आवण्टित करने के बजाए, पांच वर्ष के लिए आवण्टित किया जाएगा।

अनेक क्षेत्रों में सीलिंग लगा कर अब तक 35,165 एकड़ भूमि पुनर्ग्रहीत की गई है। सरकार ने अपने हाल ही के एक निर्णय द्वारा सभी क्षेत्रों में सीलिंग (30 स्टैन्डर्ड एकड़) लगाकर अतिरिक्त भूमि को तुरन्त पुनर्ग्रहीत करने के लिए आदेश दिए हैं। इस आदेश को तुरन्त लागू करने के लिए भी समस्त जिलाधीशों को आदेश दे दिए गए हैं।

गांधी शताब्दी वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने निश्चय किया था कि 1 अक्टूबर, 1969 से लेकर 30 सितम्बर, 1970 तक के वर्ष में सरकारी भूमि को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों में बांटा जाएगा। इस प्रयास के परिणामस्वरूप अब तक अनुसूचित जातियों के 50,117 भूमिहीन किसानों को 1,92,758 एकड़ भूमि आबण्टित की गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के 29,212 भूमिहीन व्यक्यिों को 92,844 एकड़ कृषि भूमि आबण्टित की गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की दृष्टि से राज्य सरकार ने उन्हें तथा भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को आबण्टन में प्राथमिकता दी। इस नीति के अनुसार मई, 1971 के अन्त तक उपलब्ध भूमि के आबण्टन में 50 प्रतिशत भूमि केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों, 35 प्रतिशत भूमि भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों तथा 15 प्रतिशत भूमि अन्य लोगों को दी गई।

इस प्रयास के परिणामस्वरूप केवल एक वर्ष की अवधि में ही 24,661 भूमिहीन लोगों को 1,55,722 एकड़ भूमि आबण्टित की गई। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार की दिशा में ये प्रयत्न भी किए गए :—

(क) कृषि सुधार के लिए सुविधाओं का विस्तार।

(ख) पंचायतों एवं सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था।

(ग) साहूकारी का नियमन एवं पुराने ऋणों का पुनर्भुगतान।

(घ) कृषि उपज मण्डियों का निर्माण।

(ङ) ग्रामदान एवं भू-दान योजनाओं तथा सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना।

हाल ही में सिंचाई के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्रों में उपनिवेशन योजना प्रारम्भ की गई है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों का विकास किया जाना भी सम्मिलित है।

राजस्थान टेनेन्सी नियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

भूमि सुधार की दृष्टि से सरकार ने काश्तकारों को पासबुक देने का निश्चय किया है, जिसमें उनकी भूमि सम्बन्धी प्रविष्टियां की जाएंगी। इन पासबुकों के वितरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस वर्ष लगभग दस लाख पास बुकें वितरित किए जाने का विचार है।

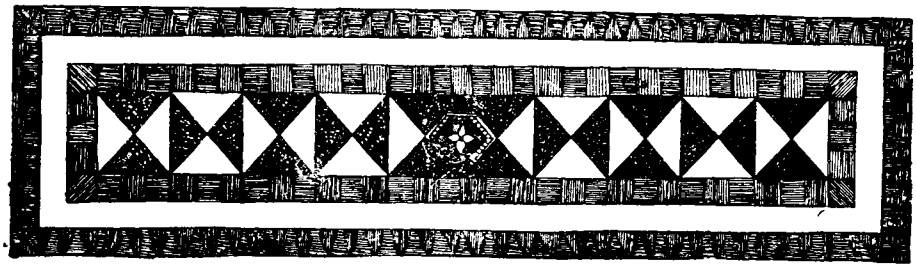

जांबाज रेल कर्मचारियों ने जान पर खेल कर भी पहिया न रुकने दिया

रामचन्द्र तिवारी

कृष्ण पक्ष की रातें। ब्लैक आउट के दिन। सर्वत्र घुप्प अंधेरा। आकाश में विमानों की घर्र घर्र। हिक हिक··· क···क···क···क गोलियों की बौछार। धमाक···धमाक बम गिरे। और ध ड़ा···क धड़ाक भीषण बम विस्फोट। युद्ध के दिनों में सीमावर्ती स्टेशनों में सर्वत्र यही स्थिति तो रही पर छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ियों की शंटिंग जारी रही। सैनिक स्पेशलें आ रही हैं जिनमें नई कुमुक या रसद बराबर पहुंच रही है। सेना के आदेश पर मंगाए विशेष उपकरण या हथियार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं। खतरे का साइरन बजा कि सब रेल कर्मचारी खाइयों में इधर या उधर, और शत्रु के विमान जाते ही सब कुछ बदस्तूर चालू। रेल कर्मचारी हैं कि मौन भाव से अडिग निष्ठा एवं कर्त्तव्य-परायणता के साथ काम में जुटे हैं। सबके मन में एक ही भाव हिलोरे मार रहा है कि सेना की किसी आवश्यकता की पूर्ति हमारे कारण अधूरी न रहे। जब सैनिक मोर्चे पर मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की आहुति दे रहे हैं तो हम पीछे रहें, यह हमारा धर्म नहीं। हमारे कारण सेना का कोई काम रुके, यह देश के प्रति गद्दारी होगी।

दिन रात निगरानी

इस अदम्य भावना का सुपरिणाम यह रहा कि शत्रु बमवर्षा करके स्टेशनों की लाइनें तोड़कर जाता कि रेलकर्मी 2-3 घंटे या अधिक से अधिक चार घंटे में उन लाइनों की मरम्मत कर देते, टूटे माल डिब्बे या अन्य क्षतिग्रस्त चीजों को हटाकर रेल पथ साफ कर देते और सैनिक स्पेशलें आने जाने लगतीं। दिन रात रेल पथ की निगरानी चलती। मजाल है कि कहीं घुसपैठिए रेलपथ को नुकसान कर जाएं। हां, पूर्वी अंचल में शत्रु के जासूसों ने इस प्रकार की तोड़-फोड़ जरूर की, किन्तु रेल कर्मचारियों की निरन्तर सजगता के कारण कहीं भी सैनिक स्पेशल क्षतिग्रस्त नहीं हुई।

(यहां ध्यान में रखने की बात है कि सेना को मोर्चों तक पहुंचाने का काम रेलों को इस प्रकार करना था जिससे देश के जनजीवन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, जनता की सभी आवश्यकताएं यथासम्भव पूरी होती रहें। इस दृष्टि से रेलों ने अपना काम बखूबी निभाया।)

भारत पाक संघर्ष के सिलसिले में रेलकर्मचारियों के काम को दो भागों में बांटा जा सकता है—एक, मोर्चाबन्दी के लिए तैयारी में सहायता और दूसरे, युद्ध के दिनों का काम।

देश के सभी भागों से सैनिकों तथा सैनिक शस्त्रास्त्रों को सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाना था। इसके लिए सवारी, माल डिब्बे एवं इंजन आदि की ऐसी व्यवस्था करके स्पेशल गाड़ियां चलानी थीं जिससे देश के अन्य कामों में किसी प्रकार की बाधा न आए।

गजब की तेजी

सीमांचलों तक सैनिक एवं सैनिक सामग्री जिसमें विमानभेदी तोपें, टैंक, बख्तरबन्द गाड़ियों से लेकर गोलाबारूद तक कुछ भी हो सकता था, भेजने के लिए आवश्यक माल डिब्बों, सवारी डिब्बों एवं इंजनों आदि की आवश्यकताओं का हिसाब लगाकर सुविस्तृत योजना बनाई गई। इस बार का परिवहन कार्य ही भारतीय रेलों के इतिहास में अभूतपूर्व था। 1 सितम्बर से 17 दिसम्बर 1971 तक 1759 सैनिक स्पेशलें चलाई गईं और दिसम्बर के प्रथम सोलह दिनों में चली सैनिक स्पेशलों की संख्या 391 रही। इस काम में बड़ी लाइन के 969 तथा मीटर लाइन के 459 सवारी डिब्बे और कुल 21,00 माल डिब्बों का प्रयोग किया गया। इन स्पेशलों में वे स्पेशलें शामिल नहीं हैं जो घायल सैनिकों को लाईं या जिन्हें स्थानीय अधिकारियों ने सेना की तात्कालीन आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चलाया था। सैनिक स्पेशलों के लिए बड़ी संख्या में 4 हजार से अधिक माल डिब्बे स्थानीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजे गए।

इन सैनिक स्पेशलों की एक मुख्य बात थी, गजब की तेजी। एक विशेष गाड़ी ने 1200 किलोमीटर की दूरी 2 दिन से भी कम समय में पूरी की जिसमें सामान को बड़ी लाइन से मीटर लाइन के डिब्बों में चढ़ाने का 12 घंटे का समय भी शामिल है। एक विशालकाय क्रेन को 1500 किलोमीटर से लाकर 29 घंटों में मोर्चे पर पहुंचाया गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक माल डिब्बे तथा एक ब्रेकवेन को ही लेकर 2100 किलोमीटर की यात्रा 36 घंटे में पूरी करके सामान मोर्चे तक पहुंचाया गया।

जहां सैनिक स्पेशलें अपनी यात्रा समाप्त करतीं, उन छोटे स्टेशनों पर माल डिब्बों की चैकिंग की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से उनकी चैकिंग होनी भी जरूरी थी। इसका रास्ता यह निकाला गया कि डिब्बे चैक करनेवाले उड़नदस्ते बनाए गए जो कभी

इस स्टेशन पर होते तो कभी उस स्टेशन पर, और सब तरफ चौकसी से गाड़ियों की जांच करते।

युद्ध के दिनों में समस्त रेल कर्मचारियों की एक ही इच्छा, एक ही कामना थी—शत्रु को कैसे परास्त किया जाए और सेना की आवश्यकता कैसे पूरी की जाएं। देश के लिए किसी चीज की—यहां तक कि प्राणों की भी कोई कीमत नहीं। जान की बाजी लगाकर दिन-रात रेल कर्मचारियों ने काम किया। युद्ध के दिनों में ड्यूटी के घंटों का कोई हिसाब नहीं। जब तक जरूरत है, रेल कर्मचारी ड्यूटी पर हैं—चौबीस घंटे, अड़तालीस घंटे तक।

पश्चिम अंचल में उत्तर रेलवे के फीरोजपुर, जोधपुर तथा बीकानेर मंडल पड़ते हैं। इनमें फीरोजपुर मंडल का सर्वाधिक भाग रण अंचल में था। पश्चिमी अंचल की सैनिक तैयारी का अधिकांश भार भी इसी मंडल पर पड़ा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के भाग तो इस मंडल में पड़ते ही हैं, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजने का सारा काम भी इसे ही करना पड़ा। इस दृष्टि से पठानकोट स्टेशन सर्वोधिक महत्वपूर्ण रहा। और इसी स्टेशन पर शत्रु की सर्वाधिक क्रूर दृष्टि भी रही। 14 दिनों में इस स्टेशन पर 124 बार पाक विमानों ने आक्रमण किए।

पाक क्षेत्र में रेल लाइन

जोधपुर मंडल के कर्मचारियों का सबसे उल्लेखनीय काम रहा बाड़मेर अंचल में। पश्चिमी अंचल में मुनाबाओ स्टेशन से आगे पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में सात किलोमीटर भीतर खोखरापार से रेल सम्पर्क जोड़ना।

हुआ यह कि पांच दिसम्बर तक भारतीय सेना बाड़मेर के अंचल में काफी आगे तक चली गई थी। आगे बढ़ती सेना को रेगिस्तानी इलाके में रसद, खासकर पानी पहुंचाने का काम बेहद आवश्यक था। सड़कों के अभाव में यह काम रेल से ही सम्भव था, अतः इस अंचल के प्रधान सेनापति ने रेल अधिकारियों से कहा कि खोखरापार स्टेशन तक रेल लाइन दुरुस्त करके गाड़ियां शुरू कर दी जाएं। शत्रु की गोलाबारी तथा बमवर्षा जारी थी। ऐसी हालत में चुनौती भरे काम को रेल कर्मचारियों ने स्वीकार किया। 6 दिसम्बर को सर्वे करके काम शुरू करने का निश्चय हुआ। मंडलीय निर्माण इंजीनियर श्री गुजराल तथा एमरजेंसी अफसर श्री आर० के० तांगरी ने सर्वे किया तो पाया कि चार स्थानों पर पटरी टूटी है और जगह जगह पटरी एक से लेकर दो फुट तक रेत में दबी है। 6 दिसम्बर को ही काम शुरू हुआ और दिन रात काम चला। 7 तारीख को 350 मजदूर रेत साफ करने पर लगाए गए और उसी दिन 12 बजे पहली रेलगाड़ी चला दी हालांकि तब तक उस पर काम चल ही रहा था। 7 सवारी डिब्बे तथा 17 डिब्बों में पानी लेकर गई यह पहली गाड़ी मुनाबाओ से चलकर सवा दो बजे खोखरापार पहुंची (इसके गार्ड श्री वी०के० गुप्त और ड्राइवर श्री कृष्ण थे)। पौन घंटे बाद ही तीन बजे शत्रु विमानों ने इस गाड़ी पर बमबारी कर दी। रेल कर्मचारी शत्रु विमानों को देख रेत में जा छिपे और हमला समाप्त होते ही फिर शंटिंग शुरू कर दी। पानी के डिब्बे वहीं छोड़े और शेष गाड़ी वापस लाए।

पाकिस्तानी क्षेत्र में पहले रेलगाड़ी चलाने के लिए अफसरों को जहां 26 घंटों तक ड्यूटी पर रहना पड़ा, वहां गदरा रोड के रेल पथ निरीक्षक श्री रूपचन्द्र, सहायक रेल पथ निरीक्षक श्री शर्मा, समादरी के हैड ट्रालीमैन श्री देव राज तथा 40 गैंगमैनों ने विशेष सराहनीय कार्य किया। खोखरापार में सहायक स्टेशन मास्टर का कार्य करने वाले भारतीय थे श्री डी० एन० मुखर्जी और श्री जैपाल सिंह।

आज भी रेल कर्मचारी पाकिस्तान के भीतर 27 मील दूर परचेजी तक रेल चला रहे हैं। ये रेल कर्मचारी प्रादेशिक सेना के रूप में सैनिक वर्दियां पहने रेलें चलाते हैं। आज भी रेलों पर रक्षा के लिए इंजन पर सैनिक बन्दूकें लिए तो रहते ही हैं। माल डिब्बे में विमान भेदी तोप भी जमाए रहते हैं, ताकि हवाई हमले की अवस्था में रक्षा की जा सके।

युद्ध की स्थिति के अनुसार सेना की आवश्यकताएं बदलतीं। ये परिवर्तन आकस्मिक होते। सेना की इन आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलों को सूचना मिलते ही सामान ढोने की व्यवस्था करनी पड़ती। इस तरह की ढुलाई के लिए सुविधाजनक स्थानों पर माल डिब्बे और डीजल इंजन तैयार रखे जाते। खबर मिलते ही ये डिब्बे सेना की आवश्यकता पूरी करने के लिए चल पड़ते। शत्रु की बमवर्षा से रेल लाइन को जो नुकसान होता, उसकी मरम्मत करने के लिए रेलवे ने रेल पथ सामग्री लदी माल गाड़ियां प्रमुख स्थानों पर रख छोड़ी थीं ताकि जरूरत पड़ते ही फौरन हरी झंडी हो और गाड़ी निर्दिष्ट स्थान के लिए चल दे।

कर्मचारियों का मनोबल

युद्ध के पहले तथा युद्ध के दौरान सभी श्रेणी के रेल कर्मचारी राष्ट्र देवता की इस पुकार से खिंचे हुए ड्यूटी पर जमे रहे। कोई भी गैर हाजिर नहीं और हर कोई देश की खातिर कुछ न कुछ कर डालने के लिए व्यग्र। यद्यपि सभी रेल कर्मचारी देश को विजयी बनाने के लिए कोई भी त्याग करने एवं बलिदान देने को तैयार थे, पर वास्तविक परीक्षा कुछ ही कर्मचारियों की हुई। जिन कर्मचारियों को बमवर्षा या गोली वर्षा में काम करना पड़ा, उन्होंने मातृभूमि की शान जरा भी नीची न होने देने की प्रतिज्ञा पूरी की। संकट की घड़ी ने उनके संकल्प को और भी दृढ़ किया।

रेल कर्मचारी बलिदान देने में भी पीछे नहीं रहे। भारत पाक संघर्ष में 15 रेल कर्मचारी मारे गए और 27

घायल हुए। इनमें सर्वाधिक बलिदान गुरुदासपुर में हुए जहां शत्रु के विमानों ने रेलवे कालोनी पर बम वर्षा करके 33 क्वार्टर ही ध्वस्त कर दिए। एक रेल कर्मचारी मुकेरियां में मारा गया। गुरुदासपुर पर वह शत्रु का 14वां हमला था। बाड़मेर, भटिंडा तथा मुकेरियां को भी शत्रु के हवाई हमलों से काफी नुकसान हुआ।

शौर्य के कारनामे

युद्ध के दिनों में हर रेल कर्मचारी ने स्वयं को मोर्चे का सैनिक समझ रेलें चलाने का अपना काम तो किया ही, शत्रु के हवाई जहाजों पर नजर रखने का भी अद्भुत काम किया। बीकानेर मंडल में रेलवे के सहायक स्टेशन मास्टरों ने एक दिन (7 दिसम्बर) में शत्रु के विमान आने के 344 सन्देश कन्ट्रोल को भेजे और कण्ट्रोल में काम कर रहे रेल कर्मचारियों ने उनकी सूचना सेना के अधिकारियों को दी। डेरा बाबा नानक के सहायक स्टेशन मास्टर तो गाड़ियां चलना बन्द कर दिए जाने पर भी अपने स्टेशन पर डटे रहे और बहुत नीचे आते विमानों की सूचना अमृतसर को देते रहे जिससे हमारी विमान भेदी तोपों को शत्रु के विमान को मार गिराने का अद्भुत अवसर मिला।

जैसलमेर के माल बाबू श्री कुशल राज ने तो अकेले ही माल डिपो सम्भाला। चौबीस घंटे तक आप लगातार ड्यूटी पर जमे रहे और हवाई हमले के खतरे में भी काम करते रहे। रात के घुप्प अंधेरे में जब यार्ड में आप घायल हो गए, तभी ड्यूटी से हटे।

आठ दिसम्बर को शत्रु के बमवर्षकों ने बाड़मेर के माल गोदाम तथा सवारी डिब्बा यार्ड पर बम वर्षा की। इससे सेना के सामान में आग लग गई। पांच सवारी डिब्बे भी जलने लगे। आग फैल कर और सामान को नष्ट न कर दे, इस लिए कर्मचारियों ने शंटिंग इंजन लाए जाने का इन्तजार नहीं किया, जलते डिब्बे काटकर धक्के देकर ही उन्हें अलग किया। स्टेशन मास्टर श्री जमनादास के साथ उनके दोनों सहायक स्टेशन मास्टर तथा अन्य कर्मचारी जुट गए थे।

बाड़मेर में माल डिपो की लाइनों, बिजली के तारों आदि को भी नुकसान हुआ जो रातोंरात ठीक कर दिया गया।

इसी तरह अमृतसर जाती हुई एक सैनिक गाड़ी में रास्ते में गोलीबारी से इंजन के चौथे डिब्बे में आग लग गई। गाड़ी के गार्ड श्री रामप्रकाश तथा चालक दल ने असाधारण साहस दिखाया और आग लगे डिब्बे को शेष डिब्बों से अलग कर दिया। थोड़ी ही देर में उसमें रखे बम फट गए। यदि उस डिब्बे को काट कर अलग न किया होता तो पूरी रेल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती।

अमृतसर में हवाई हमले बहुत हो रहे थे। पूरे ब्लैक आउट के बाद भी शत्रु कैसे सफल होता है, इसकी जांच की गई तो पता चला कि अमृतसर के लोको रनिंग रूम के पास बनी पानी की टंकी के समीप कोई पंचमांगी टार्च दिखा कर संकेत करता है। अमृतसर के फिटर खलासी श्री चिरंजी लाल ने रात रात भर निगरानी रखी और उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया।

पुरस्कृत रेल कर्मचारी

रेल कर्मचारियों के शौर्य के कुछ उदाहरण तो इतने ज्वलन्त हैं कि उनकी तुलना किसी सैनिक के शौर्य से की जा सकती है। पश्चिम रेलवे के एक 'ए' ग्रेड फायरमैन श्री दुर्गाशंकर को तो उनकी वीरता के लिए वीर चक्र प्रदान किया गया। श्री दुर्गाशंकर सैनिक सामान की एक मालगाड़ी को बाड़मेर अंचल में जब ले जा रहे थे तो शत्रु के 6 विमानों ने इस पर हमला किया। इन्होंने उस अवस्था में भी गाड़ी को गन्तव्य स्थान पर ही ले जाकर छोड़ा। वहां माल उतार कर जब वह गाड़ी को वापस ला रहे थे, इस रेलगाड़ी पर फिर बम वर्षा की गई। घायल होने पर भी श्री दुर्गा शंकर गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर ले गए। वहां गाड़ी छोड़कर आप घायल हालत में ही पांच मील तक पैदल चले। अन्ततः एक हैलीकोप्टर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आप बुरी तरह जल गए थे।

इतना ही नहीं, रेलवे की वर्कशापों ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका बखूबी निभाई। पश्चिम रेलवे की एक वर्कशाप ने रिकार्ड समय के अन्दर बैल वैगनों को हैवी टैंक डिब्बों में परिवर्तित कर दिया जिससे पेट्रोल की ढुलाई हो सके। एक अन्य वर्कशाप ने सूचना मिलते ही सेना के लिए आवश्यक एक उपयोगी उपकरण का निर्माण करके दिया। पुर्वोत्तर सीमा रेलवे की एक वर्कशाप ने टंकी माल डिब्बों से माल उतारने के लिए विशेष रैम्प तैयार किए। इसी प्रकार पूर्व रेलवे ने कुछ ही दिनों के अन्दर विशेष रैम्प बना दिए थे ताकि सैनिक सामान माल डिब्बों से तेजी के साथ उतारा जा सके।

रेल महिलाओं की सेवा

जिस समय रेल कर्मचारी सेना के लिए आवश्यक सामान तथा स्वयं सैनिकों को मोर्चों तक पहुंचाने के महत्वपूर्ण काम में लगे थे, उनकी महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की पत्नी श्रीमती मनोरमा बालिगा की अध्यक्षता में रेल महिला केन्द्रीय संस्था ने जवानों की सहायता के लिए धन तथा सामान एकत्र किया। क्षेत्रीय रेलों तथा मंडलों की महिला समितियों ने जवानों के लिए केन्टीनें चलाई और धन एकत्र किया। 18 दिसम्बर को श्रीमती बालिगा ने प्रधान सेनापति की पत्नी श्रीमती मानिकशा को 100 उपहार पैकेट, 250 कम्बल तथा अन्य वस्तुएं जवानों तथा अफसरों के लिए भेंट कीं जिनकी कीमत 30 हजार रुपये थी। इसके अलावा रेल महिला केन्द्रीय समिति ने प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए 1 लाख रुपए का चैक भेंट किया।

राजस्थान में खार भूमि को कृषि योग्य बनाने के उपाय

तारादत्त निर्विरोध

चम्बल नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं जिन्हें लोक भाषा में "खार" कहा जाता है। ये खार तट भूमि का एक बड़ा भाग हैं जिसे कृषि योग्य और वनोपयोगी बनाने के लिए राज्य सरकार का वन विभाग लगातार प्रयत्नशील है।

राजस्थान में खार सर्वेक्षण कार्य 1962 में प्रारम्भ किया गया था और अब तक 1,70,475 हैक्टर भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 90,892 हैक्टर भूमि कृषि योग्य है, 17,571 हैक्टर भूमि में चारागाह हैं और 59,079 हैक्टर भूमि बेकार है। शेष भूमि वन विभाग के अन्तर्गत है। राज्य में लगभग 3,23,700 हैक्टर भूमि खारों से प्रभावित है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य

खार सर्वेक्षण कार्य का उद्देश्य नदियों के पानी के बहाव से कटी कृषि योग्य भूमि, जिसमें उपजाऊ तत्व होते हैं, की उचित जांच करना है। ऐसी भूमि में खेतों की पैदावार कम हो जाती है और कृषक ऐसी भूमि पर कृषि नहीं कर पाते जिसका पैदावार पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। खार विभाग ऐसी भूमि के कटाव को रोकने और भूमि को कृषि योग्य और बनाने की दृष्टि से सर्वेक्षण करता है।

खार सर्वेक्षण की यह पद्धति भूमि सुधार की दिशा में हितकर सिद्ध हुई है। केन्द्रीय खार भूमि सुधार बोर्ड द्वारा स्वीकृत इस योजना के अन्तर्गत कोटा के निकट चम्बल की खारों में 5 हजार एकड़ खार भूमि का सुधार किया जाना है। इस 5 हजार एकड़ भूमि में ढाई हजार एकड़ को कृषि योग्य तथा शेष को वनोपयोगी बनाए जाने के सरकार के लक्ष्य हैं। योजना पर 50 लाख रुपए व्यय किए जाने का अनुमान है।

सर्वेक्षण प्रक्रिया

जिस ग्राम का सर्वेक्षण किया जाता है वहां सर्वेक्षण दल पहुंचकर जानकार व्यक्ति के सहयोग से खार प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करता है। वास्तविक स्थिति को नक्शे एवं खसरे पर नोट कर लिया जाता है। हर जगह की मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं। नमूने बाद में कृषि रसायन प्रयोगशला में जांच के लिए भेज दिए जाते हैं ताकि यह पता लग सके कि मिट्टी में कौन-कौन से तत्वों की और कितनी-कितनी कमी है। बाद में एक ऐसा ब्यौरा तैयार किया जाता है जिसमें भूमि कटाव, वर्गीकरण जैसी बातें होती हैं। इस सबके बाद भूमि का इतिहास लिखा जाता है। यदि सरकारी भूमि कृषि योग्य नहीं पाई जाती तो उसके खार वनखण्ड बना दिए जाते हैं और उसे वन विभाग को सौंप दिया जाता है।

वन खण्ड

खार भूमि क्षेत्र के अन्तर्गत अब तक 92 वनखण्ड बनाए गए हैं जिनमें से कोटा में 51, बूंदी में 12, सवाई माधोपुर में 9 और भरतपुर में 20 वनखण्ड हैं तथा इनका कुल क्षेत्रफल 38,534 हैक्टर भूमि है। 31 वनखण्ड वन विभाग को सौंपे जा चुके हैं। इस समय खार सर्वेक्षण विभाग का सर्वेक्षण कार्य सवाई माधोपुर जिले में चल रहा है।

कार्य और दिशा

राजस्थान में खार सर्वेक्षण कार्य कोटा जिले से प्रारम्भ होकर भरतपुर की राजाखेड़ा तहसील तक हो रहा है और इस क्षेत्र में चम्बल, कालीसिन्ध, पार्वती तथा बनास जैसी बड़ी-बड़ी नदिया हैं और यह राजस्थान का खारबहुल क्षेत्र है।

जब खार सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था, उस समय अनेक कठिनाइयां थीं। ग्रामीणों का असहयोग, ऊबड़खाबड़ भूमि तक पहुंचने की कठिनाई, खारों की गहराई, आदि। मगर बाद में बेकार भूमि को मशीनों द्वारा समतल किया गया, मेड़बन्दी द्वारा भूमि के उपजाऊ तत्वों की सुरक्षा की गई और भूमि के काफी बड़े हिस्से को कृषि योग्य बनाने का कार्य किया गया।

स्थिति बोध

राज्य की नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश ग्रामों को खारों ने घेरा हुआ है। सरकार द्वारा यह कार्य भिन्न-भिन्न रूपों में और अलग-अलग योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस कार्य पर सरकार लगभग एक लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय कर रही है।

चम्बल एवं उसकी सहायक नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में ऐसी 8 लाख एकड़ भूमि है।

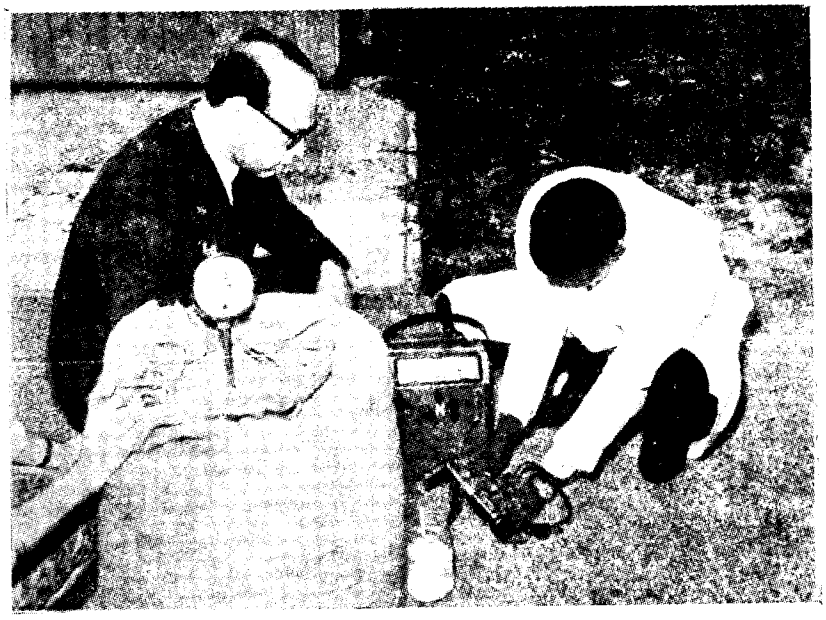

↑
लन्दन स्थित ट्रापिकल प्राडक्टस इन्स्टीट्यूट में
अनाज के बोरे की नमी मापते हुए प्रशिक्षार्थी

प्रगति के लिए प्रशिक्षण

फिलिप ट्रेलेविन

नाशक कीटों के कारण संसार में प्रति वर्ष कुल पैदा हुए खाद्य पदार्थों का 30 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाया करता है। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अनुमान के अनुसार, गोदामों में संग्रहीत कोई 1 करोड़ 30 लाख टन अनाज प्रति वर्ष कीड़े खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि संसार के प्रत्येक 5 लोगों में से 4 अल्पपोषित हैं इस प्रकार की हानियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता—विशेषतया जब ये अधिकतर उष्ण देशों में होती हैं जहां भूमि का अधिकाधिक उपयोग करने, पैदावार बढ़ाने और किसानों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

लन्दन स्थित ट्रापिकल प्राडक्ट्स इन्स्टीट्यूट को उष्ण कृषि समस्याओं का समाधान करने में विशिष्टता प्राप्त है, जिनमें वे समस्याएं भी शामिल हैं जिनका सम्बन्ध कीड़ों और कृमियों के कारण होनेवाली हानियों से है। लन्दन के बाहर स्लाउ में एक विशेष ट्रापिकल स्टोर्ड प्राडक्ट्स सेण्टर है जो फसल के बाद की समस्याओं के बारे में अनुसन्धान करता रहता है।

जो लोग ब्रिटेन में अपने सेवा-नियोजकों की ओर से शिक्षाक्रमों में भाग लेने के लिए जाते हैं वे प्रायः सरकारी विभागों, लोक निगमों, अनुसन्धान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालय विभागों में कार्यरत स्नातक पदाधिकारी होते है। उनका सम्बन्ध कृषि, खाद्य, मत्स्य, वनविद्या, व्यापार, उद्योग या ग्रामीण विकास से होता है। इस इन्स्टीट्यूट में प्रशिक्षण मुख्यतया स्नातकोत्तर स्तर पर होता है।

अत्यधिक अर्हताप्राप्त शिक्षकीय कर्मचारीवृन्द के अतिरिक्त वहां परीक्षण और अनुसन्धान की व्यापक सुविधाएं भी मौजूद हैं जिनके लिए अत्यधिक आधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध ये सुविधाएं न केवल प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए भी कि स्वदेश लौटकर अपनी प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल के लिए औजारों का चुनाव भी वे यहां कर सकते हैं।

हाल के वर्षों में घाना, नाइजीरिया, जैम्बिया, केन्या, मलावी, यूगांडा और तंजानिया की सरकारें अपने सबसे उदीयमान अधिकारियों को इन शिक्षाक्रमों में भाग लेने के लिए भेज चुकी हैं।

इन शिक्षाक्रमों की कोई नपी-तुली लम्बाई नहीं रही है; प्रशिक्षार्थियों को उनकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उचित अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। इन शिक्षाक्रमों को आवश्यकतानुसार काट-छांट दिया जाता है।

जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उनकी सूची बड़ी प्रभावशाली है जिसमें यदि सभी नहीं तो, लगभग उन समस्याओं को शामिल कर लिया गया है जिनका विकासशील देशों को सामना करना पड़ता है। अधिकतर जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उन के नाम हैं : आवश्यक तेलों का विश्लेषण, आवश्यक तेलों का उत्पादन, कीटनाशों का अध्ययन और नियन्त्रण, लुगदी और कागज निर्माण, वस्त्र, रेशे, ताड़तेल का अध्ययन।

इसके अतिरिक्त, अलग-अलग देशों की आर्थिक स्थितियों, मशीनों और तकनीकों के मूल्यांकन, तथा विपणन और संख्याओं पर शिक्षाक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सैदपुर ग्राम की कहानी सीमाओं की जबानी

सन् 1914 ई०। प्रथम विश्व युद्ध। जिसने उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले के "सैदपुर" ग्राम को वह सम्मान दिया जो बिरले ही ग्रामों को मिलता है। तत्कालीन सेनाध्यक्ष के कर कमलों द्वारा स्थापित धूल धूसरित वह स्मृति शिला लेख आज भी ग्राम के मध्य इस ग्राम के गौरव की कहानी कहता है। प्रथम विश्व युद्ध में इस ग्राम के 900 रण-बांकुरों ने युद्ध में भाग लिया तथा 300 वीर गति को प्राप्त हुए। दूसरे महायुद्ध में इस ग्राम के 160 योद्धा थल सेना की बन्दूक लेकर अपने कर्त्तव्यों का पालन करने ग्राम से बाहर गए।

ब्रिटिश राज के समय में भी इस ग्राम की ओर काफी ध्यान दिया गया। बेकारी की समस्या एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए यहां अनेक योजनाएं चली थीं। दूसरे महायुद्ध में इस ग्राम के सैनिकों का एक अलग रिसाला था। छः नम्बर नामक पलटन को आज भी देशवासी नहीं भूल पाए। इस क्षेत्र के लोकगीतों में आज भी अज्ञात वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने जर्मन वालों को जीत कर भारत का गौरव बढ़ाया। इस लोक गीत का रेकार्ड आज भी ब्रिटिश सेना कार्यालय में सुरक्षित है। आज भी ग्राम बालाएं विशेष अवसरों पर मार्मिक स्वरों में गाती सुनाई पड़ती हैं, :

"मत रो बेट्टी क्यूं घणी उदासी छाई।

छः नम्बर हमारी पल्टन जरमन जीत के आई।

वीर बहुएं रोया न करती, ये रीति तो चली आई।

छः नम्बर वीरा की पल्टन जरमन जीत के आई।"

सैनिक परम्परा इस ग्राम को विरासत में मिली है। आज इस ग्राम के 3 ब्रिगेडियर, 23 कर्नल, 17 लैफ्टिनेन्ट तथा 1330 दूसरे सैनिक देश भक्ति का परिचय दे रहे हैं। 300 सैनिक आज पेन्शन पा रहे हैं। 8 युवक उच्च शिक्षा प्राप्त करने विदेश गए हैं।

इस ग्राम के 27 सैनिक हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। सैनिकों के परिवारों को राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से धनराशि एवं कपड़ा सीने की मशीनों के अतिरिक्त काफी सहूलियतें दी गई हैं।

यह सैनिक परम्परागत "सैदपुर" नामक ग्राम बुलन्दशहर जनपद के भवन बहादुर नगर विकास क्षेत्र में स्थित है। 6,789 जनसंख्या वाले इस ग्राम में 2,224 एकड़ उपजाऊ भूमि में खेती की जाती है।

सहकारिता सैनिक जीवन का अभिन्न अंग होता है। यही सहकारिता यहां के जन जीवन में दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार सैनिक कन्धे से कन्धे मिलाकर सीमाओं की रखवाली करते हैं

श्रीपाल सांगवान

उसी प्रकार यहां के कृषि धन्धे में सहकारिता अपनाई गई है। सैदपुर ग्राम में सिंचाई के लिए राज्य सरकार के 3 ट्यूबवैल तथा 47 सहकारी ट्यूबवैल हैं। उच्च शक्ति के 4 ट्यूबवैल भी सहकारिता के आधार पर खरीदे गए हैं। सहकारिता के आधार पर आईसक्रीम कारखाना, हथकरघा, तथा कृषि यन्त्रों का प्लाण्ट सफलतापूर्वक लाभ में चल रहे हैं। ग्रामवासियों ने 6 भवनों का निर्माण चन्दा इकट्ठा करके किया है। 2 चौपाल, 1 बीज गोदाम, 1 पशु चिकित्सालय, 1 स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1 खाद गोदाम और इनके अतिरिक्त एक कन्या जूनियर हाई स्कूल, 4 बेसिक पाठशालाएं तथा 1 इन्टर कालिज के भवन का निर्माण भी सैदपुर ग्राम के निवासियों ने स्वयं किया है। हर गली में पक्के खड़न्जे, बिजली की रोशनी, आदर्श कुएं तथा पक्के तालाब ग्राम की शोभा बढ़ाते हैं।

यहां के अवकाश प्राप्त सैनिकों ने कृषि में बहुत प्रगति की है। सैनिक जीवन का एक सिद्धान्त है कि "बात कम" और "काम अधिक"। यह कहावत यहां के कृषि जीवन में लागू होती है। फलदार वृक्षों के आकर्षक बगीचे, सिंचाई के लिए पक्की नालियां, समतल खेत और लहलहाती उन्नत जातियों की फसलें देखकर "सैनिक कृषि फार्म" का दृश्य दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक युवती, बहुएं और बुजुर्ग खेत में परिश्रम और लगन से कार्य करते हैं। युवक या तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या दूसरी सेवाओं में लगे हैं। कुछ दिन पूर्व "कृषि पण्डित" की उपाधि भी एक अवकाश प्राप्त सैनिक को मिली थी।

अधिकांश आबादी शिक्षित है। 90 प्रतिशत मकान सुन्दर और पक्के हैं तथा 14 प्राचीन भवनों का ऐतिहासिक महत्व है। "दादी का थान" इस गांव के लोगों की श्रद्धाभावना का प्रतीक है।

हर रात के बाद जब उजाला होता है तो ग्राम की गलियों में "जयहिन्द साब" का उच्चारण ही सुनाई पड़ता है। उनके सम्मान सूचक शब्दों में साम्प्रदायिकता की "बू" नहीं अपितु राष्ट्रप्रेम की भावना दीख पड़ती है। ग्राम में कोई शोर-शराबा नहीं, बल्कि शान्त वातावरण को देखकर किसी सैनिक छावनी का भान होता है। इस ग्राम की हर शाम खुश और रंगीन होती है। चौपालों में युवकों का मनोरंजन मण्डल और बैठकों में बुजुर्गों के कहकहे गूंजते हैं। बूढ़े सैनिक जब देश विदेश में बीते अपने सैनिक जीवन की आप बीती सुनाते हैं तो युवकों में साहस का संचार होता है। इस ग्राम का 115 वर्षीय वृद्ध कभी-कभी छोटे बच्चों को "लैफ्ट राईट" कराता देखा जा सकता है। यह प्रथम विश्व युद्ध का वह सूरमा है जिसने कभी सेना की बन्दूक लेकर विदेशों में अपने ग्राम का नाम उज्जवल किया था।

सूरजमुखी की खेती

देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उसकी मांग के कारण खाद्य तेलों की कमी महसूस की जा रही है। इस कमी को सूरजमुखी और सोयाबीन का तेल मंगा कर पूरा किया जा रहा है। इससे विदेशी मुद्रा के कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 1966-67 से लेकर अगस्त, 1970 तक 56.54 करोड़ रुपए का खाद्य तेल बाहर से मंगाया गया था। इस बड़ी मात्रा में होने वाले आयात को रोकने के लिए देश में ही सूरजमुखी की विस्तृत स्तर पर खेती करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

रूस से चार किस्मों के सूरजमुखी के बीज प्राप्त किए गए थे। 1969-70 में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान ने 13 केन्द्रों में इन बीजों का परीक्षण किया। इसके उत्साहजनक परिणाम नजर आए। प्रति हैक्टर 24 क्विण्टल की उपज प्राप्त हुई। इस उपज में 47 प्रतिशत तेल की उपस्थिति पाई गई थी। सूरजमुखी की एक किस्म तो 8ᐧ दिनों में पककर तैयार हो गई थी। 1970-71 में और भी विस्तृत स्तर पर प्रयत्न हुए। 31 केन्द्रों में परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि सूरजमुखी की खेती सफलतापूर्वक देश के दक्षिणी, केन्द्रीय और पश्चिमी भागों में की जा सकती है। इससे प्रति हैक्टर 2 टन उपज प्राप्त की जा सकती है। प्रति हैक्टर तेल की प्राप्ति भी इससे सर्वाधिक हो सकती है। यह बालू मिट्टी एवं काली मिट्टी दोनों में अच्छी तरह हो सकती है और जहां मूंगफली सफल नहीं होती वहां सूरजमुखी अच्छी प्रकार जम सकती है।

सूरजमुखी का बीज हमारे यहां बगीचों में फूलों के लिए आमतौर पर बोया जाता रहा है पर खेती के रूप में इसका यह देश में नया प्रयोग है। सूरजमुखी का तेल उत्तम खाद्य तेल है। किसानों को इसकी खेती की ओर उन्मुख करने के लिए जगह जगह प्रत्येक राज्य में प्रदर्शन क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई प्रदर्शन लगाए गए हैं। इसके लिए 15 हजार रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। 1800 हैक्टर में किए जा रहे इन प्रदर्शनों से 1800 टन सूरजमुखी के बीज प्राप्त होने की आशा है जिनकी कीमत 20 लाख 60 हजार रुपए होती है जबकि इस पर सिर्फ 5 लाख 4 हजार रुपए का खर्च होगा।

सूरजमुखी की खेती करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना आवश्यक होगा। भूमि की तैयारी सर्वप्रथम कार्य है। यह क्षारीय भूमि तथा जहां पानी के निकास की समस्या हो वहां नहीं होती है। बोने से पूर्व खेत में दो तीन बार हल चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। इसका बीज 2-3 इंच गहराई पर बोना चाहिए। यदि खेत में कम नमी हो तो बीज बोने से 10-12 घन्टे पूर्व नम मिट्टी में दबाकर काम में ले सकते हैं।

बीज की मात्रा तथा किस्म के सम्बन्ध में जो बात ध्यान रखने की है वह यह है कि कतार से कतार की दूरी 2 फुट तथा पौधे से पौधे की दूरी एक फुट होनी चाहिए। 12 किलो बीज प्रति हैक्टर पर्याप्त होता है। राजस्थान के लिए इसकी ई० सी० 68414 किस्म बोने की सिफारिश की गई है। रासायनिक खाद का प्रयोग इसमें आवश्यक है। इसके लिए 60 किलो नत्रजन, 60 किलो फास्फेटिक एसिड तथा 30 किलो पोटाश, प्रति हैक्टर आवश्यक है। इसकी कम से कम दो गुड़ाई, प्रथम बोने के लगभग 10 दिन पश्चात तथा दूसरी जब 4-6 पत्तियां निकल आएं तब अवश्य की जानी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था जरूरी है। 30 से 45 दिनों तक पर्याप्त नमी पौधे को मिलनी चाहिए। अन्यथा 2-3 सिंचाई आवश्यकतानुसार होनी चाहिए। अन्तिम सिंचाई फूल आने के बाद की जानी चाहिए।

सूरजमुखी की खेती को कीड़ों से बचाने के लिए कुछ उपचारों की आवश्यकता पड़ती है। वैसे आमतौर पर किसी प्रकार के कीड़े एवं बीमारी का प्रकोप इस पर नहीं होता है। बोने से पूर्व बीज का उपचार ब्रेसीकोससे, 2 ग्राम प्रतिकिलो बीज के हिसाब से कर लेना अधिक उपयुक्त है। फूल आने पर पक्षी एवं चिड़ियों से फूलों की रक्षा का ध्यान आवश्यक होता है।

卐

रोशनी की लहर

देवेन्द्र इस्सर

बात एक छोटे से खिलौने से शुरू हुई थी। मुन्ना और बब्बू एक नन्ही मुन्नी छुक छुक गाड़ी से खेल रहे थे।

मुन्ना ने बब्बू से गाड़ी मांगी और उसने इनकार कर दिया।

दोनों में झगड़ा हुआ और गुत्थम गुत्था और वह सब कुछ जो प्रायः दो बच्चों की लड़ाई में होता है।

मुन्ना ने कहा – तुम मुझे गाड़ी नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें अपनी कोई चीज नहीं दूंगा।

तेरे पास तो कोई खिलौना है ही नहीं। बब्बू ने तुरन्त जवाब दिया। इतने में अलगू कामकाज छोड़कर अन्दर आ गया और मुन्ना को दो थप्पड़ रसीद कर दिए। मुन्ना रोता रोता अपनी मां के पास चला गया।

मां मैं छुक गाड़ी लूंगा। मुझे छुक गाड़ी ले दो ना।

मां कह रही थी—अगले महीने ले देंगे। जब तेरे बाबा को पगार मिलेगी। रो नहीं और फिर शिकायत भरे स्वर में बोली।

मालूम नहीं हर समय बच्चों को क्यों डराते धमकाते मारते पीटते रहते हैं।

बेटे। मुन्ना को थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दो न। देखो कितना रो रहा है। मैंने बब्बू से कहा।

नहीं मैं अपनी गाड़ी उसे नहीं दूंगा। वह गन्दा है। बब्बू ने कहा और गाड़ी अपनी बगल में दबा ली। मैंने बहला कर उससे गाड़ी लेने की कोशिश की, उसने फिर रोना शुरू कर दिया। होने और न होने के दो विभिन्न स्वरों में संगीत की लय ही कुछ और होती है।

मुन्ना को कहो ना अपने पापा से कहे बाजार से और गाड़ी ले आए। मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। बब्बू रोता जाता और कहता जाता। मुन्ने का बाप अलगू हमारे पास कई बरसों से नौकर था। स्पष्ट है कि वह मन मार के ही रह सकता था। या मालिक के बेटे और अपने बेटे के झगड़े के बीच अपने बेटे को ही पीट सकता था और फिर वापस अपने कमरे में जाकर मुन्ना की मां को कोस सकता था।

जब अलगू हमारे पास आया था तो वह यही कोई दस बारह वर्ष का रहा होगा। गांव में उसकी मां और भाई बहन थे। उनकी थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी थी। अलगू उन सबको हर मास अपनी पगार से कुछ न कुछ रकम बचाकर भिजवाता था। लेकिन फिर भी उनका तकाजा बराबर जारी रहता था। कभी अनाज खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो कभी बीज के लिए। कभी मकान की छत या दीवार बारिश में गिर गई है तो कभी भाई बहनों के लिए कपड़े नहीं। कभी साहूकार तंग कर रहा है और उसका हिसाब चुकाना है। और अलगू बेचारा किसी न किसी तरह उनकी इच्छाएं—आवश्यकताएं कहें तो बेहतर है—पूरी करता रहता था। कम से कम पूरी करने की कोशिश तो करता ही था।

कुछ वर्ष पूर्व उसने गांव जाने के लिए छुट्टी मांगी। दो एक वर्ष से वह गांव नहीं गया था। इसलिए उसे दस पन्द्रह दिन की छुट्टी मिल गई। लेकिन वह एक मास लगाकर आया। आने पर पता चला कि उसने शादी कर ली है और फिर उसने वेतन बढ़ाने की मांग भी कर दी कि अब तो परिवार में एक सदस्य और आ गया है! गुजर नहीं हो सकती। हमने पांच रुपए बढ़ा दिए। लेकिन वेतन तो हर वर्ष नहीं बढ़ा। हां उसके घर में इस सीमित वेतन पर पलने वाले प्राणियों की संख्या अवश्य बढ़ने लगी। मालूम नहीं उसका घर वालों से क्या झगड़ा हुआ कि वह अपने बीवी बच्चों समेत शहर चला आया। कहता था कि बीवी बच्चों का पेट पाले या गांव पैसा भेजता रहे। अब गांव से उसका रिश्ता ही क्या है? पैतृक भूमि थी वह सब भाइयों में बंट गई और जो कुछ उसके नाम था उस पर जो खेती करता उसका मालिक बन बैठता। उसे एक दाना भी न मिला। भूमि बंट बंट कर छोटी होती गई और परिवार बढ़ बढ़ कर बड़े होते गए। जब भूमि से गुजर नहीं हुई तो अलगू को परिवार समेत शहर आना पड़ा।

मुझे याद है जब वह पहले पहल हमारे घर आया था तो कितना चुस्त और हंसमुख था। हर काम के लिए तैयार, हर काम में खुश। लेकिन अब अलगू अलगू नहीं रहा। उसका हर चीज से अलगाव हो गया है। इसलिए हमने उसका नाम अलगू से अलगाव रख दिया है। न काम करने में वह फुर्ती न चेहरे पर वह खुशी। हर समय गुमसुम सा। हर चीज भूल जाना। हर काम में कहीं न कहीं गलती हो जाना और फिर जब

उसकी गलती की तरफ इशारा किया जाता तो वह बड़बड़ाने लगता या जवाब देने लगता। अगर उसके काम करने की विधि को गणित के किसी फार्मूले में डाला जाए तो यूं कहा जा सकता है कि पहले यदि चीनी के एक सौ बरतन साफ करने पर एक प्लेट या प्याली टूटती थी तो अब उसकी संख्या बढ़कर तीन या इससे भी कुछ अधिक हो गई है। आखिर तंग आकर हमने धीरे धीरे चीनी और शीशे के बरतनों का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया—सिर्फ मेहमानों के लिए और उसकी जगह धातु और प्लास्टिक के बरतन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए।

उस दिन जब छुक छुक गाड़ी पर मुन्ना और बब्बू का झगड़ा हुआ था और उसने मुन्ना को एक थप्पड़ मारा था तो मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन ज्यादा दुख इस बात का था कि वह उसे घसीटते हुए बाहर ले गया और कहने लगा।

—एक घरेलू नौकर का बेटा होकर बड़े साहब के लड़के के खिलौने से खेलना चाहता है। बैलगाड़ी तो रही नहीं अब लाट साहब छुक छुक गाड़ी पर सवार होंगे। इस बात में न तो क्रोध था न व्यंग्य, न निराशा ही थी। बल्कि एक प्रकार का भाग्यवाद था जैसे बड़े साहब के बच्चे ही खिलौनों से खेल सकते हैं और दूसरे बच्चों के भाग्य में खिलौनों से खेलना लिखा ही नहीं। यदि वह अच्छा भी करते हैं तो वह एक प्रकार का पाप करते हैं। ऐसा भाग्यवाद जैसे वह कुछ भी करें—चाहें या न चाहें—उसके बच्चे होंगे ही।

सहसा मेरे मन में ख्याल आया—क्या यह सम्भव नहीं कि उसके मन में यह आकांक्षा पैदा कर दी जाए कि उसके बच्चों के पास भी खिलौने होने चाहिए और फिर एक और आकांक्षा कि उसके बच्चों के पास भी अच्छी पोशाक हो—और फिर एक और आकांक्षा कि उसके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले—और फिर एक और आकांक्षा कि उसके बच्चों को भी अच्छी नौकरी और बेहतर रोजगार मिले।

शायद यह सब आकांक्षाएं उसके मन में हैं। लेकिन शताब्दियों की गरीबी का बोझ उसको कुछ करने नहीं देता।

हम गरीब पैदा हुए हैं—हमारा बाप गरीब था—हमारा दादा गरीब था—हमारा परदादा गरीब था—और यह सिलसिला मालूम नहीं कहां तक चलेगा!

अलगू के मस्तिष्क में भाग्य पर भरोसे के बजाए कामना और पूर्ति को जगह दी जाए। मैंने मुन्ना को बुलाया—क्यों बेटे यह छुक गाड़ी लोगे। उसने सिर हिला दिया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं।

साहब आप किस किसको खिलौना देंगे? मेरे पांच बच्चे हैं। सभी हठ करेंगे।

मैं सबको एक एक गाड़ी ले दूंगा, लेकिन—

लेकिन? अलगू ने विस्मय से मेरी ओर देखा।

तुम इन्हें इस योग्य बना दो कि ये निराशा और अभाव की जिन्दगी बसर न करें।

लेकिन? उसकी आंखों में अब भी अविश्वास और प्रश्न मौजूद थे। बात जैसे समझ के दायरे से बाहर थी।

साहब एक दो बच्चे हों तो कोई आदमी यह सब बातें सोचे भी। जिसके पांच बच्चे हों वह तो सपने में भी यह सब कुछ नहीं सोच सकता।

हां। आश्चर्य मुझे भी हुआ कि प्रश्नों का उत्तर भी वह जानता है। केवल उनके समाधान का रास्ता नहीं जानता।

नया जीवन कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। मैंने कहा।

जी।

अलगू धीरे धीरे बाहर निकल गया।

मुन्ना और बब्बू छुक गाड़ी चला रहे थे और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। कितनी अच्छी है यह गाड़ी। करते इसकी सब ही सवारी।

खिड़की से लगा अलगू उनकी ओर देख रहा था। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर रोशनी की यह लहर दौड़ती हुई दिखाई दी।

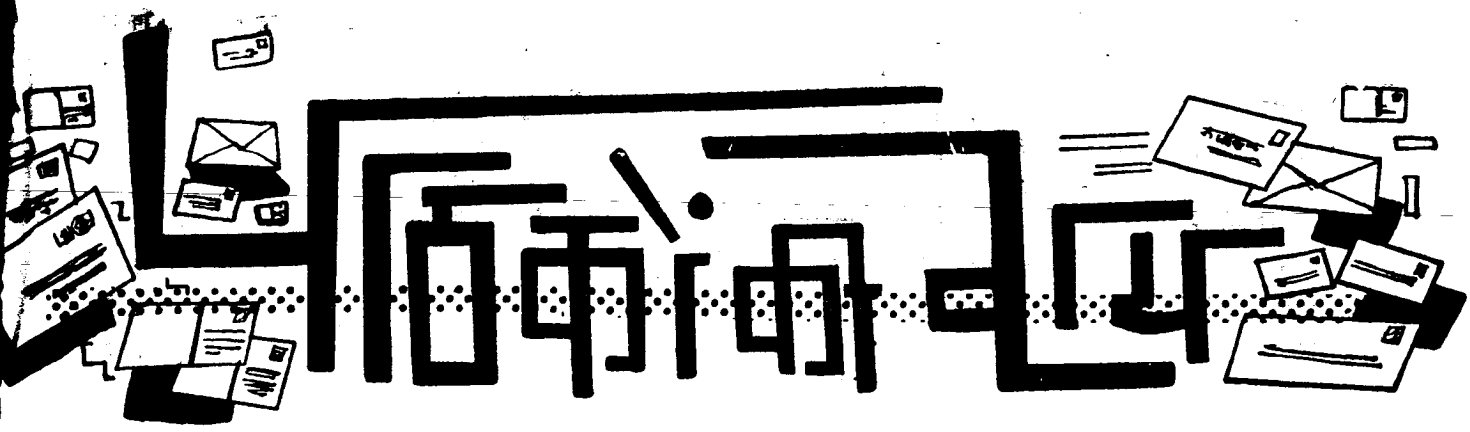

गांवों का पिछड़ापन : एक समस्या

भारत गांवों का देश है। यहां की अधिकांश जनता गांवों में रहती है। यदि भारत की आत्मा देखनी है, तो यहां के गांवों को देखिए। विज्ञान के इस युग में अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलने पर भी हमारे गांव आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। इसके कई कारण हैं जिनमें कुछ सामाजिक हैं और कुछ आर्थिक।

हमारा ग्राम समाज प्राचीन काल से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बंधा चला आ रहा है, जिसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम सामने हैं। समय के फेर से समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे गांव भी अछूते नहीं बचे हैं। आज ग्रामों में पहले जैसा स्नेहभाव नहीं है। उसकी जगह एक ऐसा वैर विरोध हृदयों में भर गया है, जिससे सांस लेना दूभर है।

पुराने समय से ग्राम समाज की व्यवस्था मेल-मिलाप पर निर्भर रही है, किन्तु उसमें भी कुछ ऐसे पारस्परिक झगड़े होते आ रहे हैं, जिन्होंने सारे ग्राम समाज को दूषित बना दिया है। ये झगड़े मुख्य रूप से जमीन के कारण हैं। जमीन का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि जहां एक किसान के पास उसकी अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन है, वहां दूसरे ऐसे भी किसान हैं, जिनके पास उनके अपने निर्वाह योग्य जमीन की कमी है। एक तीसरा ऐसा वर्ग भी गांव में है, जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है और जो बड़े किसानों की मजदूरी पर निर्भर है। ये कृषक मजदूर कहलाते हैं। इस असमान भूमि वितरण का फल यह है कि गांव में जितना कृषि उत्पादन होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता, क्योंकि कृषक मजदूरों में उत्पादन के प्रति उतनी रुचि नहीं, जितनी एक किसान को होनी चाहिए। इसलिए भूमि का बंटवारा फिर से होना चाहिए।

पहले ग्रामों की एक संस्कृति थी, एक सभ्यता थी, जिसमें ऊंच नीच का भेद नहीं था। यदि थोड़ा बहुत था भी तो जातिगत था, परस्पर हितों या आदर भाव पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। गांव का एक वयोवृद्ध हरिजन समाज में सम्मान का अधिकारी होता था, किन्तु वह संस्कृति अब लुप्त होती जा रही है।

आध्यात्मिक विचारों के अभाव और भौतिकता के प्रचार से ग्राम संस्कृति का ह्रास हो रहा है। शहरी सभ्यता का प्रवेश जब से गांवों में हुआ है, लोगों का दृष्टिकोण भौतिकता की ओर अधिक बढ़ा है।

पिछड़ेपन को बढ़ावा देने वाली कई अन्य मुख्य समस्याएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं – छोटे छोटे खेतों का दूर दूर होना। इससे खेती पर जहां खर्च अधिक होता है, वहां उनकी देखभाल में भी किसानों को कठिनाई होती है। इस समस्या का हल चकबन्दी के द्वारा हो रहा है। इसके साथ साथ सिंचाई की पूरी सुविधा न होना, अच्छे बीज या रासायनिक खादों की कमी भी ग्रामों के पिछड़ेपन का कारण है। सरकार की ओर से भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी बिजली के कुओं से या नहरों से मिल सके किन्तु यह व्यवस्था भारत जैसे विशाल देश के विस्तृत ग्रामीण भूभाग में कर पाना कठिन है। केवल सरकार पर निर्भर रहकर ही सब साधन सुलभ हों, यह सोचना ठीक नहीं। इसके लिए आत्म-निर्भर होना पड़ेगा। जो सम्पन्न कृषक हैं, वे इस प्रकार का प्रबन्ध स्वयं कर रहे हैं, किन्तु साधारण किसान की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जो अपने बल पर उपर्युक्त साधन स्वयं जुटा सके।

रासायनिक खाद और कृषि के औजार आजकल मंहगे हैं। साधारण किसान उन्हें नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है। ऋण का बोझ सदा किसान

पर रहा है और आज भी किसान उससे पीड़ित है। साहूकार के सूद से उसका छुटकारा सहकारी बैंकों की सरल सूद प्रणाली के द्वारा ही हो सकता है। वस्तुत: सहकारी बैंकों की स्थापना का यही उद्देश्य था।

आज ग्रामों को जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, वे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। केवल किताबी शिक्षा से ही ग्रामों का भला नहीं हो सकता। वहां तो इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है जो पढ़ने लिखने के साथ साथ उनके जीवनोपयोगी कामों में सहायक हों। ग्राम पाठशालाओं में अन्य विषयों के साथ साथ बच्चों को कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा खेती के औजारों की मरम्मत आदि के लिए बढ़ईगिरी तथा लुहारगिरी की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। साथ साथ कुटीर उद्योगों की ओर भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे खेती के साथ उद्योगों से भी अपनी आजीविका चला सकें।

ग्रामों में शिक्षा के दो प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। गांव के उच्च शिक्षित युवक यदि नौकरी के लिए शहरों में चले जाते हैं, तो यह ठीक है, किन्तु अर्धशिक्षित कृषक युवक जब खेतीबाड़ी छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर आकृष्ट हो जाते हैं तो शहर में अच्छा काम न मिलने से वे अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति भी बिगाड़ लेते हैं। परिणामत: गांव की कृषि में भी उनका योग नहीं होता और शहर में कठिनाई से रहते हुए वे न अपना ही कुछ भला कर सकते हैं।

स्वास्थ्य की देखभाल का गांवों में समुचित प्रबन्ध नहीं है। देश की स्वतन्त्रता से पहले और बाद भी जितना ध्यान शहरों पर दिया गया या दिया जा रहा है, उतना गांवों पर नहीं। कितने ही ऐसे गांव हैं जहां चिकित्सा की सुविधा न होने से कितने ही व्यक्ति अकाल काल कवलित हो जाते हैं। प्रसूति के लिए तो कोई प्रबन्ध ही नहीं। गांव की अशिक्षित दाइयों पर ही जच्चा बच्चा का जीवन निर्भर होता है। इसका कभी कभी भयंकर परिणाम होता है। प्रसूति केन्द्रों की ग्रामों में बड़ी आवश्यकता है।

सफाई की ओर ग्रामवासियों का ध्यान बहुत कम है। यद्यपि विकास खण्ड अधिकारी समय समय पर उन्हें सफाई का महत्व बताते रहते हैं फिर भी गांव में जब तक बचपन से ही सफाई की शिक्षा न दी जाएगी, तब तक गांव साफ सुथरे नहीं रह सकते।

परिवार नियोजन भी ग्रामों के लिए आवश्यक है। गांव के बहुत से युवक इसलिए शहरों में चले जाते हैं कि वंशवृद्धि के साथ साथ जमीन के टुकड़े होते जाते हैं। अन्त में विवश होकर लोग शहरों में आजीविका खोजते हैं। इसलिए शहर की अपेक्षा गांव के लिए परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जिनमें छूतछात की समस्या प्रमुख है। इस समस्या की ओर ग्रामों में उदासीनता पाई जाती है, यद्यपि सरकार की ओर से इस समस्या के उन्मूलन पर काफी जोर दिया जा रहा है।

राजनीति के इस युग में हमारे गांव भी राजनीति के दलदल में फंस गए हैं। पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी कि ग्रामवासी कचहरी दरबार के चक्कर में न पड़कर अपने मामले आपस में पंचायत में बैठकर तय कर लें, किन्तु देखने में यह आया है कि वहां भी पंचायतों के चुनावों पर गांव की राजनीति इतनी उग्र हो जाती है कि उसके बड़े भयंकर परिणाम भुगतने होते हैं। इसके अतिरिक्त देश की दलगत राजनीति भी ग्राम के जीवन को झकझोर जाती है।

आजकल की उग्रतावादी प्रवृत्ति के कारण ग्रामों में असुरक्षा की भावना अधिक बढ़ गई है। आपसी द्वेषभाव इस सीमा तक बढ़ गया है कि वहां जन जीवन असुरक्षित हो गया है। इस कुप्रवृत्ति पर अंकुश सरकार की सतर्कता तथा आपसी सद्भाव से ही लग सकता है।

यह हरित क्रान्ति का युग है। कृषक समुदाय के परिश्रम से देश आज अन्न के उत्पादन में प्राय: आत्मनिर्भर हो रहा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामवासी परस्पर मिल बैठकर शान्तिपूर्वक अन्न का उत्पादन बढ़ाएं जिससे अन्न के मामले में देश पूर्णतया आत्मनिर्भर हो जाए।

बहुत पहले श्री मैथिलीशरण की ग्राम जीवन सम्बन्धी एक कविता पढ़ी थी जिसमें उन्होंने ग्राम की विशेषताएं बताई हैं। अन्त में गुप्त जी कहते हैं "शिक्षा की यदि कमी न होती, तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते।"

ग्रामों को यदि सचमुच स्वर्ग बनाना है तो वहां उस आदर्श शिक्षा की आवश्यकता है जो ग्रामवासियों के हृदय में ऐसा प्रकाश भर दे जिससे वे गरीबी, अन्ध विश्वास तथा पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर देश को समृद्धिशाली बनाने में योगदान कर सकें। वस्तुत: ग्रामों की उन्नति ही देश की उन्नति है।

गंगाशरण शास्त्री

चंगा करे खुदाई—लेखक महाबीर प्रसाद पोद्दार ; प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ; पृष्ठ संख्या : 176 ; मूल्य : 3 रुपये ।

आलोच्य पुस्तक प्राकृतिक चिकित्सा पर लिखी गई है। 'चंगा करे खुदाई' पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट होता है कि लेखक रोगमुक्त होने के लिए दवा से अधिक महत्व 'खुदाई' अर्थात प्रकृति को देता है।

हमारे देश में कई प्रकार की चिकित्सा-पद्धतियां चल रही हैं। जैसे—आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, यूनानी और होम्योपैथी। इनके साथ-साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी बड़े-बड़े नगरों में चल पड़ी है। इसका प्रचार हमारे देश में थोड़े समय से ही हुआ है, फिर भी इस पद्धति ने अपनी सरलता के कारण लोगों को अपनी ओर आकृष्ट किया है।

महात्मा गांधी का इस पद्धति पर अटूट विश्वास था। वे तो खुदाई-प्रकृति को राम कहते थे। डा० लुई कोने के वाष्प स्नान और मिट्टी के प्रयोग को गांधी जी बहुत लाभदायक मानते थे। लेखक ने वाष्प स्नान और मिट्टी के प्रयोग के साथ-साथ उपवास पर भी जोर दिया है। पश्चिमी चिकित्सा-पद्धतियों को छोड़ कर भारतीय चिकित्सा-पद्धतियों में उपवास को विशेष लाभप्रद माना गया है। आयुर्वेद में तो लंघन (उपवास) का विशेष स्थान है। उपवास एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है, जिससे बाहरी तौर पर तो शरीर क्षीण हो जाता है किन्तु उसके द्वारा जहां रोग से मुक्ति मिलती है वहां मनुष्य का आभ्यन्तर शुद्ध हो जाता है। इसके साथ-साथ लेखक ने आहार और विहार पर भी विशेष बल दिया है।

प्राकृतिक चिकित्सा ने कुछ रोगों पर तो जादू का काम किया है। पुस्तक में ऐसे अनेक मनोरंजक उदाहरण दिए गए हैं, जिनसे इस पद्धति पर चलने के लिए मनुष्य को उत्साह मिलता है।

यह पद्धति अभी सर्वसाधारण में प्रचलित नहीं हो पाई है। इसका कारण केवल यह है कि शिक्षित लोग ही इसे अपना रहे हैं। साधारण लोग अभी इस पद्धति से दूर हैं। किन्तु यदि ध्यान से देखा जाए तो यह स्वीकार करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए कि आज भी हमारे गांव-देहात के लोग अनेक प्रकार के रोगों का उपचार प्रकृति-प्रदत्त साधनों से बड़ी सुगमता से कर लेते हैं।

प्रकृति एक सफल चिकित्सक है—इसका प्रमाण हमें वन्य पशु-पक्षियों में मिलता है। क्या पशु-पक्षी बीमार नहीं होते ? होते हैं, किन्तु उनका इलाज प्रकृति स्वयं करती है। वे प्रकृति पर निर्भर रह कर ही स्वस्थ रहते हैं। लेखक ने अपने अनुभव के आधार पर अनेक सरल प्राकृतिक नुस्खे भी पुस्तक में दिए हैं। साथ-साथ प्राकृतिक चिकित्सा पर पाश्चात्य विद्वानों के मत भी पुस्तक में संग्रहीत हैं।

इस प्रकार 'चंगा करे खुदाई' पुस्तक में बताई हुई प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति सर्वसाधारण के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। पुस्तक संग्रहणीय एवं पठनीय है। कहीं-कहीं छपाई की अशुद्धियां खटकती हैं।

सुरेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

गणित जगत की सैर—लेखक ; डा० ब्रह्मदेव शर्मा; प्रकाशक : थामसन प्रैस (इण्डिया) लिमिटेड, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली ; पृष्ठ संख्या : 248 ; मूल्य ग्यारह रुपये।

वैज्ञानिक विषयों पर लिखी हुई पुस्तकों का उद्देश्य एक ओर जहां विषय ज्ञान कराना होता है वहीं दूसरी ओर उस बिषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना भी। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने दोनों ही आवश्यकताओं का पूर्ण सफलता के साथ निर्वाह किया है। भौतिक, रसायन अथवा जीवन विज्ञान को जहां प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं से सम्बन्धित करके विषय को रोचक एवं सरल बनाया जा सकता है, वहां इस प्रकार की सम्भावनाएं गणित के क्षेत्र में बहुत ही कम हैं। उदाहरण के लिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को वस्तुओं के स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर गिरने से जन्म मिला, किन्तु कोई वस्तु कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाए कि वह पुनः लौटकर पृथ्वी पर न गिरे, इसके लिए कोई भौतिक उदाहरण नहीं मिल सकेगा। यहां केवल गणित के समीकरण ही इसका उत्तर दे सकते हैं। गणित को अत्यन्त नीरस विषय माना जाता है, किन्तु यदि हम उसकी उपलब्धियां देखें तो वे उतनी ही अधिक सरस एवं महत्वपूर्ण हैं।

गणित के पाठक उसकी विभिन्न शाखाओं का प्रायोगिक ज्ञान तो करते हैं किन्तु इसके साथ कदाचित ही कोई पाठक इसके जन्म और विकास के विषय में जानने का प्रयत्न करते हों। प्रस्तुत पुस्तक इसी विषय पर लिखी गई है। लेखक ने अंकों की उत्पत्ति से लेकर उसका क्रमिक विकास तथा अंक विनोद तक के विषय को जितने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, कदाचित ही इस विषय पर ऐसी पुस्तक इससे पूर्व हिन्दी भाषा में लिखी गई हो।

शेष पृष्ठ 35 पर]

केन्द्र के समाचार

गन्ना प्रतियोगिता

1969-70 में आयोजित अखिल भारतीय गन्ना प्रतियोगिता में दक्षिणी क्षेत्र में अधसाली तथा एकसाली फसलों और उत्तरी क्षेत्र में एकसाली तथा जल्दी पकने वाली फसलों के लिए रिकार्ड स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र के श्री दिनकर राव पांडुरंग राव मोहिते ने अधसाली फसल के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने प्रति हैक्टेयर 418.51 टन गन्ना पैदा किया है। महाराष्ट्र के ही श्री शान्ताराम ने प्रति हैक्टेयर 406.38 टन गन्ना पैदा करके एकसाली फसल में पहला स्थान प्राप्त किया है।

उत्तरप्रदेश की गणेश चीनी मिल के मैसर्स चेहरी फार्म तथा मैसर्स बागापुर फार्म ने क्रमश: 335.42 टन प्रति हैक्टेयर एकसाली फसल पैदा करके और 272.88 टन प्रति हैक्टेयर जल्दी पकने वाली फसल पैदा करके गन्ने के उत्पादन में नए कीर्तिमान बनाए हैं। इन सबको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के श्री आनन्द ढोण्डी कुटे ने 331.37 टन गन्ना प्रति हैक्टेयर पैदा करके दक्षिणी क्षेत्र में जल्दी पकने वाली फसल का प्रथम पुरस्कार जीता है।

प्रतियोगिता में शामिल किए नए विभिन्न राज्यों के खेतों में गन्ने का सबसे ज्यादा औसतन उत्पादन दक्षिणी क्षेत्र में महाराष्ट्र में तथा उत्तरी क्षेत्र में उत्तरप्रदेश में हुआ है। इसलिए इन दोनों राज्यों को चल रजत वैजयन्तियां दी जाएंगी।

गणेश चीनी मिल्स के बागापुर फार्म को उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक जल्दी पकने वाली फसल पैदा करने के लिए रजा बुलन्द चल रजत वैजयन्ती दी जाएगी।

पेयजल योजना

स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 1 लाख 52 हजार गांवों में पीने का पानी मुहैया करने के लिए 560 करोड़ रुपए की एक योजना योजना आयोग को भेजी थी। योजना आयोग ने इस योजना को स्वीकार कर इस वर्ष के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि विभिन्न राज्यों द्वारा ऐसी ही योजनाओं के लिए 37.8 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। यदि इस योजना के लिए यथासमय धन प्राप्त होता रहा तो सम्बन्धित समस्त गांवों को पांचवीं योजना तक शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

पेयजल योजना से सम्बद्ध 70 हजार गांवों में पानी उपलब्ध नहीं है, 34 हजार गांवों में जल कीटाणुग्रस्त और 3 हजार गांवों में कीड़ायुक्त है।

अधिक अन्न उपजाओ

गार्डस प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा ने सेना की विभिन्न यूनिटों के बीच हुई 'अधिक अन्न उपजाओ' प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है।

1970-71 के दौरान उक्त केन्द्र द्वारा 20 हैक्टेयर सिंचाई वाली भूमि में 1,03,743 रुपए मूल्य का 1,76,137 किलोग्राम अनाज पैदा किया गया।

सिकन्दराबाद के केन्द्र को चार हैक्टेयर से कम भूमि पर खेती करने वालों में प्रथम पुरस्कार मिला। इस केन्द्र ने 18,516 किलोग्राम चावल पैदा किया जिसका मूल्य 22,839 रुपए है। इसमें 3.63 हैक्टेयर भूमि सिंचाई वाली थी और 0.81 हैक्टेयर भूमि बिना सिंचाई की।

सब्जी उगाने में सबसे अधिक उत्पादन के लिए 216 पारगमन शिविर को प्रथम पुरस्कार मिला। इसने एक हैक्टेयर बिना सिंचाई वाली भूमि से 13,876 किलोग्राम सब्जी उगाई जिसका मूल्य 5,773 रुपए है।

भूमि सुधार

भूमि सुधार यद्यपि राज्यों का विषय है फिर भी भारत सरकार ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि वे सरकारी परती भूमि, बंजर भूमि और फालतू भूमि के वितरण में भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को प्राथमिकता दें। राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम भी बनाए हैं। हरियाणा और पंजाब राज्य इन जातियों के लोगों को 5 एकड़ तक जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। अभी तक सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में कुल 57 लाख हैक्टेयर भूमि बांटी जा चुकी है। बहुत से राज्यों ने केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। इनके अनुसार पूरे साल सिंचाई की सुविधा वाली भूमि की अधिकतम सीमा 18 एकड़ होगी। स्टेट बैंक आफ इण्डिया कृषि ऋण वितरण का कार्य करने के लिए देश भर में 150 केन्द्र खोलेगा। क्रैडिट गारण्टी कार्पोरेशन, अन्य व्यापारिक बैंकों से भी किसानों को ऋण दिलाएगा। इसके अलावा किसानों को भूमि विकास

बैंकों और सहकारी समितियों से भी कृषि कार्यों के लिए ऋण मिलता है।

ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

व्यापक नसबन्दी कार्यक्रम

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्रालय के तत्वावधान में हुए व्यापक नसबन्दी कार्यक्रम के अनुसार पिछले तीन महीनों में चार लाख से भी अधिक नसबन्दी आपरेशन किए गए हैं।

यह योजना अभी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और आन्ध्रप्रदेश राज्यों में चालू है। यह योजना अभी 25 जिलों में आरम्भ की जानी है।

पिछले वर्ष जुलाई में एर्नाकुलम में आयोजित नसबन्दी शिविर की सफलता को देखते हुए प्रयोगात्मक रूप में यह अभियान आरम्भ किया गया था। एर्नाकुलम के कलेक्टर श्री कृष्ण कुमार ने एक मास में 63,000 नसबन्दी आपरेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया।

चालू वित्त वर्ष में 15 लाख से अधिक व्यक्तियों का नसबन्दी आपरेशन हुआ जबकि पिछले वर्ष केवल 13 लाख नसबन्दी आपरेशन हुए थे। गुजरात में 2,02,298 महाराष्ट्र में 75,934, तमिलनाडु में 80,936, हरियाणा में 19,697, एर्नाकुलम में 63,000 और आन्ध्रप्रदेश में 44,000 आपरेशन किए गए।

विकास का नया तरीका

विकास केन्द्रों में आजमायशी अनुसन्धान परियोजना से सम्बद्ध क्षेत्रीय कर्मचारियों का चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो गया है और बीस अनुसन्धान एवं जांच कक्षों के सभी कर्मचारी अब प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। विकास केन्द्रों में आजमायशी अनुसन्धान परियोजना क्षेत्रीय आयोजन से सम्बद्ध है। इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना का उद्देश्य समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक सम्पर्कों और प्राकृतिक वातावरण के बीच तालमेल स्थापित करना है। क्षेत्रीय विकास के लिए बेरोजगारी की स्थिति पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

विभिन्न राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के परियोजना अधिकारियों, अनुसन्धान अधिकारियों और क्षेत्र सहायकों ने विकास केन्द्रों के बारे में सात सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

तम्बाकू उत्पादन

भारत में प्रतिवर्ष 40 करोड़ किलोग्राम तम्बाकू पैदा होता है, जिसका मूल्य 58 करोड़ रुपया आंका गया है। तम्बाकू उत्पादन में अमरीका और चीन के बाद तीसरा स्थान भारत का है।

भारत में 4,33,000 हैक्टेयर भूमि पर तम्बाकू की खेती की जाती है। भारत विश्व के 50 से भी ज्यादा देशों को तम्बाकू निर्यात करता है। ब्रिटेन, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी मिस्र और जापान भारतीय तम्बाकू के प्रमुख खरीदार हैं।

1971 के पहले दस महीनों में कच्चे तम्बाकू के निर्यात से देश ने 37 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जो पिछले वर्ष इसी अवधि में अर्जित विदेशी मुद्रा से लगभग 6.5 करोड़ रुपए अधिक थी। इसका मुख्य कारण यह था कि इस अवधि में रूस और जापान को अधिक तम्बाकू निर्यात किया गया।

इसी अवधि में तम्बाकू उत्पादों से लगभग 3 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई। केवल सिगरेटों के निर्यात से 2.27 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई।

सामुदायिक विकास

चौथी योजना में सामुदायिक विकास और पंचायती राज के लिए एक अरब 15 करोड़ 46 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि खर्च का कुल अनुमान एक अरब 61 करोड़ 44 लाख रुपया लगाया गया था। इसमें से 84 करोड़ 20 लाख रुपए सामुदायिक विकास के लिए और बाकी 31 करोड़ 26 लाख रुपए पंचायती राज के लिए हैं। कुल राशि में से 98 करोड़ 11 लाख रुपए विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के योजना कार्यक्रमों के लिए हैं। 1969-70 और 1970-71 में इनपर क्रमश: 19 करोड़ 82 लाख रुपए और 20 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च किए गए जबकि स्वीकृत राशि क्रमश: 18 करोड़ 29 लाख रुपए और 21 करोड़ 64 लाख रुपए थी। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की वार्षिक योजनाओं पर कुल खर्च स्वीकृत राशि से अधिक हुआ हालांकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों पर बराबर-बराबर खर्च नहीं किया गया। सामुदायिक विकास की केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के लिए चौथी योजना में 17 करोड़ 35 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस सम्बन्ध में 1969-70 में स्वीकृत 2 करोड़ 80 लाख 34 हजार रुपए के मुकाबले 2 करोड़ 14 लाख 94 हजार रुपए खर्च हुआ और 1970-71 में स्वीकृत 2 करोड़ 75 लाख 59 हजार के मुकाबले 2 करोड़ 79 लाख 38 हजार रुपए खर्च हुए।

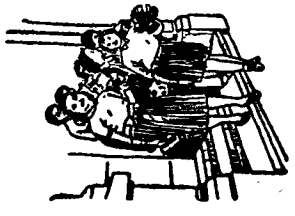

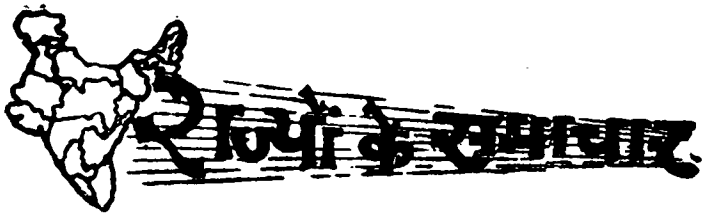

उत्तरप्रदेश

कृषि स्नातकों को काम

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्याल पन्तनगर ने कृषि स्नातकों की बेरोजगारी खत्म करने के लिए 'कस्टम सर्विस प्रोजेक्ट' योजना चालू की है जिसे इटावा और तराई क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके अन्तर्गत बेरोजगार कृषि स्नातकों को आधुनिक कृषि यन्त्र खरीदने और अपनी जमीन पर वैज्ञानिक खेती शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी। जिन स्नातकों के पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें बीज और उर्वरक की वितरण एजेन्सियां दिलाई जाएंगी। वे किसानों को कृषि सलाह देकर भी कमाई कर सकेंगे।

बारानी भूमि से गेहूं

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर के वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के बारानी क्षेत्रों में गेहूं की उपज काफी बढ़ाई जा सकती है, यदि भूमि की तैयारी, समय पर बुवाई (अक्तूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में), बोनी किस्मों में कल्याण सोना या 'के-65' या 'सी-306' बोई जाए और उचित खाद और कीटनाशकों को काम में लाया जाए। बोते समय कूड़ों में 4-6 इंच गहराई पर 16 किलो नत्रजन और 12 किलो फी एकड़ फास्फोरिक एसिड देना चाहिए। बीज 40 किलो फी एकड़ 8-8 इंच दूर लाइनों में डालें। 2-4 डी (सोडियम साल्ट) 400 ग्राम फी एकड़ 240 लिटर पानी में घोलकर बुवाई के 30-35 दिन बाद छिड़कें और 5 प्रतिशत बी० एच० सी० या एल्ड्रिन 10 किलो फी एकड़ डालें।

ज्वार से गुड़

भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ ने पहली बार मीठी ज्वार से गुड़ बनाया। यह ज्वार की विशेष किस्म है और इससे बना गुड़ गन्ने के गुड़ जैसा ही मीठा होता है। मीठी ज्वार से चीनी बनाने पर भी खोज हो रही है।

दिल्ली

खाद

1972-73 में कूड़े कचरे की खाद को तिगुना करने के लिए एक लाख 38 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार जहां पहले एक लाख टन खाद बनती थी वहां अब 1973-74 में 3 लाख टन खाद बनने लगेगी। खाद बनाने के लिए एक संयन्त्र लगाया जाएगा जिस पर लगभग एक लाख रुपये खर्च होंगे।

दिल्ली में भारी शाक-सब्जी की खपत को देखते हुए इसके उत्पादन को दुगुना करने के लिए एक सघन सब्जी उत्पादन योजना, जिस पर 1972-73 में लगभग 4 लाख 80 हजार रुपये खर्च होंगे, आरम्भ की गई है। इस प्रकार शाक सब्जियों का उत्पादन क्षेत्रफल 1969-70 के 30 हजार एकड़ से बढ़कर चौथी योजना के अन्त तक 70 हजार एकड़ हो जाएगा।

लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 2,500 और ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। किसानों को सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपये के ऋण दिए जाएंगे।

मध्यप्रदेश

यूरिया का छिड़काव

भारत सरकार की एक विशेष योजना के अन्तर्गत असिंचित गेहूं की खड़ी फसल पर लगभग 50 हजार एकड़ में यूरिया घोल के हवाई छिड़काव के लिए विमान और हैलीकोप्टरों का प्रबन्ध किया गया है।

जिला धार और छतरपुर में यह कार्य पहले से ही शुरू किया जा चुका है तथा 15 हजार एकड़ में छिड़काव पूरा हो गया है। अब यह कार्य सतना, रीवा, टीकमगढ़, सागर, गुना, भिण्ड, जबलपुर, विदिशा और रायसेन जिलों में शुरू हो जाएगा इसमें 5 हवाई जहाजों और 7 हैलीकाप्टरों से काम लिया जाएगा।

छिड़काव और खाद की कीमत का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि किसान यूरिया छिड़काव के महत्व को समझे तथा उस तरीके से अपने खेत में अधिक उत्पादन करें।

इस प्रकार असिंचित गेहूं की फसल पर हाथ व शक्ति चालित यन्त्रों से यूरिया घोल के छिड़काव के लिए इस वर्ष 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया था। आपात्कालीन स्थिति आने पर इस लक्ष्य को बढ़ाकर 4 लाख एकड़ कर दिया गया है।

उत्पादन में वृद्धि

राज्य में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में 4.5 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार 1971-72 में सर्वाधिक अर्थात कुल 113 लाख टन खाद्यान्न

उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त किसानों को अधिक उत्पादन करने में सहायता देने के लिए संचालित तीव्र अभियान के फलस्वरूप आगामी वर्ष में और भी 5 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है। वर्तमान वर्ष में यह असाधारण वृद्धि इन्दौर, दुर्ग और ग्वालियर कृषि संभागों में किए गए विशेष प्रयत्नों से हुई है।

पिछले वर्ष के 5.83 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष विपुल उत्पादन खाद्यान्न किस्मों का क्षेत्र 7.27 हैक्टेयर है। यह वृद्धि 25 प्रतिशत से अधिक है। इसी प्रकार विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.70 लाख टन अर्थात 35 प्रतिशत अधिक उर्वरकों की खपत हुई है।

मत्स्य उद्योग

चौथी पंचवर्षीय योजना में मत्स्योद्योग के विकास के लिए 170.00 लाख रु० की राशि स्वीकृत हुई है जिसमें से 45 प्रतिशत जलाशयो के विकास, 8 प्रतिशत अनुसन्धान कार्य तथा 14 प्रतिशत अन्य कार्यक्रमों पर व्यय किया जाएगा। 1971-72 के लिए इस व्यवस्था से 78.70 लाख रु० का प्रावधान मत्स्योद्योग की विभिन्न योजनाओं के लिए किया गया है।

राजस्थान

वार्षिक योजना

राज्य की 1972-73 की वार्षिक योजना 65 करोड़ रु० की होगी। इसमें 44 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। राज्य द्वारा रिजर्व बैंक से अपने हिस्से से ज्यादा ली गई राशि को एक निश्चित राशि में शामिल कर दिया जाएगा। गैर योजना खर्च में कटौती करने और अतिरिक्त साधन जुटाने से भी राशि उपलब्ध होगी, उससे योजना का निर्धारित व्यय पूरा किया जा सकेगा।

सांड की खरीद

राज्य सरकार द्वारा राजकीय पशु प्रजनन केन्द्रों से पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायत को सांड मुफ्त वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः पंचायत समिति क्षेत्र के लिए सांड राजकीय पशु प्रजनन केन्द्रों से ही प्राप्त करें। यदि इन केन्द्रों पर सांड उपलब्ध न हों तो पशुपालन विभाग से अनुपलब्धि का प्रमाण पत्र प्राप्त कर निदेशक, पशुपालन विभाग व सामुदायिक विकास विभाग को सूचित किया जाए ताकि वांछित नस्ल के सांड अन्य स्रोतों से उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा सके। किसी भी परिस्थिति में पशुपालन विभाग की पूर्व अनुमति लिए बिना अन्य जगहों से सांड न खरीदे जाएं। अन्य स्रोतों से जो सांड खरीदे जाएंगे उनके लिए पशुपालन विभाग द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

पंजाब

धान वसूली

देश में पंजाब न सिर्फ गेहूं उत्पादन में आगे है, बल्कि उसने धान उत्पादन में भी बाजी मार ली है। 35 लाख टन धान की वसूली के लक्ष्य में पंजाब अकेला 10 लाख टन देगा। 7.25 लाख टन की वसूली हो चुकी है, जबकि पूरे देश में अब तक 14.6 लाख टन धान की वसूली हुई है।

साहित्य समीक्षा.....पृष्ठ 31 का शेषांश]

12 अध्यायों में सम्पूर्ण अंक गणित का दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें मनुष्य में संख्या के ज्ञान का उदय और विकास, विभिन्न देशों में अंकों के उद्भव की समीक्षा, शून्य का आविष्कार, दशमलव एवं कुछ अन्य संख्या पद्धतियां, मूलभूत गणितीय सक्रियाएं, संख्या संकल्पना का विस्तार, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का जन्म एवं महत्व तथा अंक विनोद आदि महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक अध्याय को पढ़कर ऐसा लगता है कि सम्भवतः इसके बिना पुस्तक अधूरी होती। इतना ही नहीं प्रत्येक अध्याय के विभिन्न भाग इतनी सतर्कता एवं औचित्यता से लिखे गए हैं कि वे भी एक दूसरे के पूरक लगते हैं। गणित की दशमिक प्रणाली से गणित का कुछ भी ज्ञान रखनेवाले सभी परिचित होते हैं किन्तु इसके पुस्तक के पढ़ने के बाद द्विआधारी प्रणाली जो कि आज के कम्प्यूटर्स की मूलाधार है, भी उतनी ही सरल एवं स्वाभाविक लगती है जितनी की दशमिक। उदाहरण के लिए पृष्ठ 70 पर दी हुई गुणन क्रिया, जो कि अत्यन्त सरल है, के दीर्घकालीन प्रयोग के बाद भी कदाचित ही कोई व्यक्ति यह जान सके कि वह अनजाने में ही द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग करता रहा है।

पुस्तक में कहीं कहीं पर गणित जगत में समय समय पर हुई उपलब्धियों एवं गणित की विभिन्न क्रियाओं के जन्म को किसी न किसी तत्कालीन घटना से जोड़कर लेखक ने पाठकों के मन में एक नए विचार, जिसे हम आकस्मिक खोज कह सकते हैं, को जगाने का एक सफल प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए मानवेतर प्राणियों में गिनने की क्षमता, चीनी पुस्तक आईकिंग में वर्णित एक देवी के पदचिन्हों से द्विआधारी प्रणाली का सम्बन्ध, एथेंस की महामारी और 2 का घनफल आदि गणित के विकास में प्रकृति का योगदान प्रकट करती हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्ण सफल रहा है और यह आशा की जा सकती है कि गणित के अन्य विषयों पर भी लेखक की आगामी कृतियां जैसाकि उसने लिखने का विचार व्यक्त किया है अवश्य इतनी ही या इससे भी अधिक रोचक एवं उपयोगी होंगी।

सीमेन्स 'पम्पमास्टर' कहता है...

SIEMENS

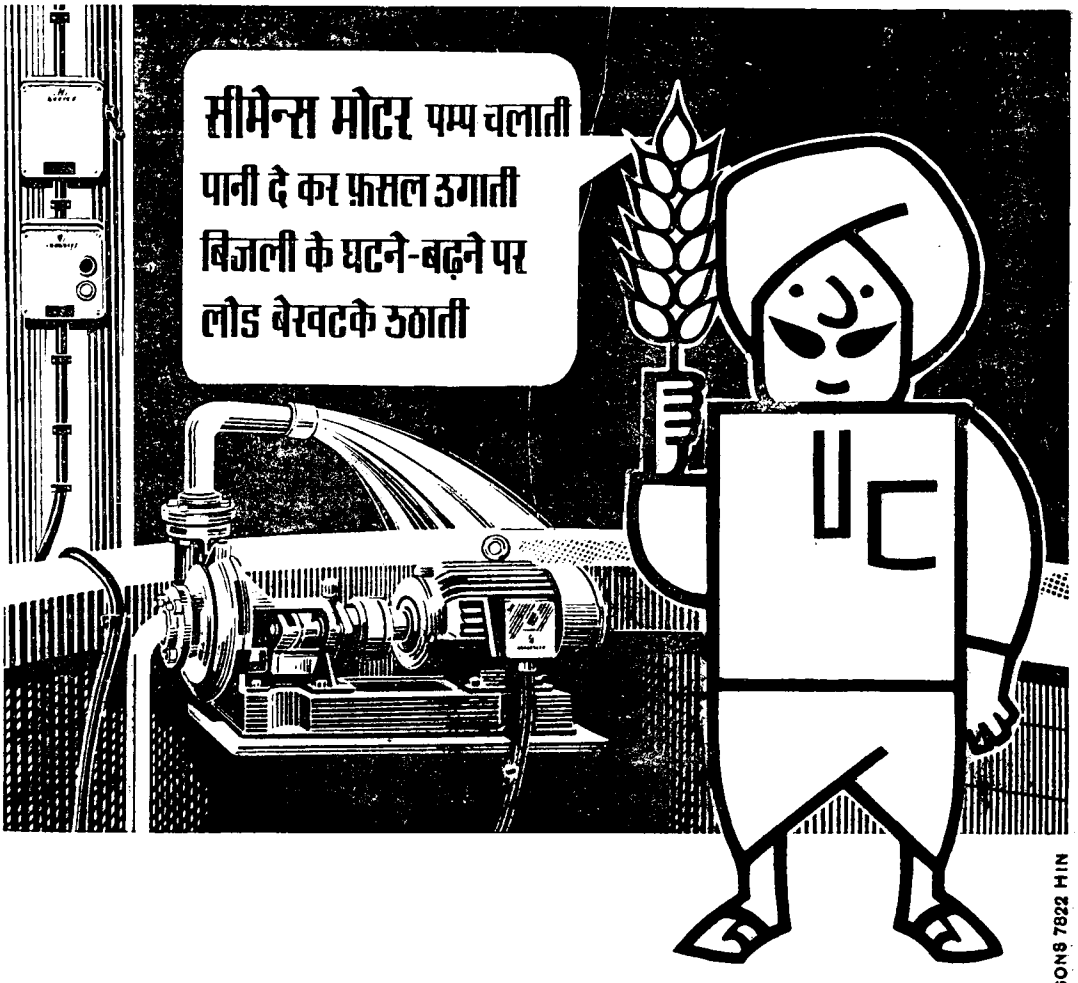

BENSONS 7822 HIN

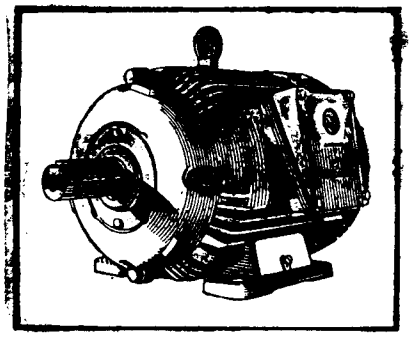

सिर्फ़ सीमेन्स मोटर ही देहाती इलाक़ों में भरोसेमन्द काम देती है, क्योंकि, इसे देहाती इलाक़ों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर, जर्मन तकनीक के आधार पर, बनाया गया है। इसी लिए, बिजली के दबाव में होने वाली बढ़-घट के बावजूद, सीमेन्स मोटर बेखटके काम करती है और बरसों-बरस चलती है।

पम्पिंग सेट के सभी यंत्रों के लिए एक ही नाम—सीमेन्स।

सीमेन्स इण्डिया लि.

• बम्बई • कलकत्ता • मद्रास • नई दिल्ली
• अहमदाबाद • बंगलूर • हैदराबाद • लखनऊ

प्रकाशन विभाग

(सूचना और प्रसारण मन्त्रालय)

नए प्रकाशन

(अक्तूबर—दिसम्बर 1971)

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (खण्ड 40)	7.50
भारत के गौरव (आठवां भाग)	3.00
ईसप की गीत-कथाएं (भाग 1) (लेखक निरंकार देव सेवक)	3.25
स्वतन्त्रता के मार्गदर्शक—दादाभाई नौरोजी (लेखक : सूरज नारायण मुंशी)	1.25
भारत में अंग्रेजी राज (द्वितीय खण्ड) (तृतीय मुद्रण) लेखक : सुन्दरलाल	12.50
स्वतन्त्र भारत के बढ़ते कदम	2.00
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 (प्रश्नोत्तर)	1.00
गांधी कथा (लेखक : एस० डी० सावन्त, एस० डी० बादलकर) (द्वितीय संस्करण)	2.50
संगठन में बल (तृतीय मुद्रण)	1.50

डाक खर्च मुफ्त। तीन रु० से अधिक मूल्य की पुस्तकें वी० पी० पी० से भेजी जा सकती हैं।

निदेशक

प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली : पटियाला हाउस
कलकत्ता : आकाशवाणी भवन
बम्बई : बोटावाला चैम्बर्स, सर फिरोजशाह मेहता रोड
मद्रास : शास्त्री भवन, 35, हैडोस रोड।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा गंगा प्रिंटिंग प्रैस, सदर बाजार, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D-28